

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2019—आश्विन 12, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2019

फा. क्र. 2887-80-पी.एस.एल.-इक्कीस-ब(दो)2019.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री शंशाक शेखर, प्रभारी महाधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते हैं.

F. No.2887-80-P.S.L.-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by clause (I) of article 165 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to appoint Shri Shashank Shekhar, Incharge Advocate General to be Advocate General of Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of his duties.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2019

फा. क्र. 4763-इक्कीस-ब (एक) 2019.—राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में अतिरिक्त सचिव, विधि के एक रिक्त पद पर श्री आर. के. गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति के नियम 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन दिनांक 2 सितम्बर 2019 को संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11 वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

7105

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2019

फा. क्र. 4962-इक्कीस-(ब-दो) 2019.—राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951-इक्कीस (ब-दो)16, दिनांक 12 अगस्त 2016 की सारणी के सरल क्रमांक-11 (2), 11(4) की प्रविशिष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के एक पद को जिला-धार की तहसील धरमपुरी से तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् तहसील-धरमपुरी एवं तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:—

स. क्र.	जिला/तहसील	पूर्व स्वीकृत पद	नवीन आवंटित पद	घटाये गये पदों की संख्या	बढ़ाये गये पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
11(2)	धरमपुरी (धार)	04	02	01	00	05
11(4)	सरदारपुर (धार)	04	02	00	01	07

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

फा. क्र. 5007-इक्कीस-(ब-दो) 2019.—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951-इक्कीस (ब-दो)16, दिनांक 12 अगस्त 2016 तथा दिनांक 14 दिसम्बर 2017 की सारणी के सरल क्रमांक-33 (2), 33(3) की प्रविशिष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के एक पद को जिला-सतना की तहसील रामपुरबधेलान से तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् तहसील-रामपुरबधेलान एवं तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:—

स. क्र.	जिला/तहसील	पूर्व स्वीकृत पद	नवीन आवंटित पद	घटाये गये पदों की संख्या	बढ़ाये गये पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
33(2)	रामपुरबधेलान (सतना)	04	02	01	00	05
33(3)	अमरपाटन (सतना)	05	02	00	01	08

संतोष प्रसाद शुक्ल, अपर सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. एफ-3-3-2015-इकतालीस-2.—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 23 फरवरी 2019 द्वारा जारी की गई "मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेटसेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश, 2019" की कंडिका 11(ग) को संशोधित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त कंडिका को निम्नानुसार प्रस्तावित करता है:—

(ग) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति के सामान्यतः 30 दिन एवं अधिकतम 45 दिन के भीतर निपटाएगा और इस समय-सीमा में विभिन्न प्राधिकरणों/

अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में लिया गया समय सम्मिलित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2019

क्र. एफ-1(सी)-3-2019-ई-चार.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन

करता है:—

संशोधन

उक्त अनुसूची के मद "च-अन्य संस्थायें" में अनुक्रमांक 65 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाये,

"66—मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण, भोपाल"

इस निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए अनुसार होगी.

No. F. 1(C) -3-2019-E-IV.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of Section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (43 of 1973) the State Government,

hereby, makes the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam, namely:—

AMENDMENT

In the said schedule, after serial number 65 of the item "F other Local Bodies," the following serial number and entries relating thereto shall be added namely:—

"66-Madhya Pradesh Tirth Sthan evam Mela Pradhikaran Bhopal"

Rate of the Audit fees of these bodies would be accrding to that fixed by the Government from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

सूचना

क्र. एफ-3-141-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2681-04-उपां-टीसी-सतना-2016, दिनांक 16 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सतना विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्त निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला-सतना.	1338/1	6.863 में से 2.803	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (अटल आश्रय योजना)

योग . . 2.803

शर्त.—

1. यह उपांतरण केवल बायपास मार्ग के उत्तरी दिशा में स्थित भूमि पर ही स्वीकार्य होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण सतना विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र. 1406-1482-2019-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-6-5-07-ए-सोलह, दिनांक 14 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई है, को निरस्त करती है तथा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले उद्योगों के उपक्रमों के संबंध में प्रभावशील होंगे, जहां तत्पश्चात् किसी भी दिवस पर कर्मचारियों की संख्या एक सौ से अधिक थी अथवा है.

No. 1406-1482-2019-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, rescinds the Notification No. F-6-5-07-A-XVI, dated 14th August 2017 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th August, 2017 and directs that all the provisions of the said Act shall come into force on the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette in respect of undertaking in the industries covered under the said Act wherein the number of employee on any day thereafter was or is more than one hundred.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना मेहरा अट्ट, अवर सचिव.

कार्यालय, वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 4 सितम्बर 2019

अधिसूचना क्रमांक 193-2014-15-30-पन्द्रह () 489—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 167 के अधधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2017-1-पांच (48) दिनांक 20 जून 2019 के अनुक्रम में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी एवं कॉलम (3) में उल्लेखित पदनाम के अधिकारी को कॉलम (4) में उल्लेखित क्षेत्र से संबंधित इस अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित एवं उद्भूत होने वाले अपील प्रकरण सुनने हेतु अधिकृत किया जाता है:—

सारणी

अ. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	अधिकारी का पदनाम (3)	अपील सुनने हेतु अधिकारिता क्षेत्र (4)
1	श्री आनंद भार्गव	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपीलीय प्राधिकारी इन्दौर संभाग-1)	इन्दौर संभाग-1, रतलाम संभाग एवं खण्डवा संभाग के साथ इन्दौर संभाग-2 एवं उज्जैन संभाग (एंटी इंवेजन ब्यूरो इन्दौर-ए एवं इन्दौर-बी से संबंधित अपील प्रकरण सहित).

डॉ. पी. आहूजा, आयुक्त.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाइन्स, पचपेड़ी)

जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. फा. नं. 07-आरटीआई-राविसेप्रा-2019.—माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 21 अगस्त 2019 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश क्रमांक फा. नं. 22-स्था.-134-06-जबलपुर, दिनांक 2 मई 2006 में आंशिक संशोधन किया जाकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1), 5 (2) एवं 19(1) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी पदाविहित किये जाते हैं:—

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी एवं वहां पदस्थ पूर्णकालिक सचिव को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित किया जाता है।
2. जिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जिला विधिक सहायता अधिकारी का पद रिक्त है, उन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में लोक सूचना अधिकारी के पदीय कर्तव्यों के दायित्वों का वहन करने हेतु वहां पदस्थ वरिष्ठतम लिपिक को लोक सूचना अधिकारी नामांकित करते हुए पदस्थ पूर्णकालिक सचिव को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित किया जाता है।
3. अन्य आदेश यथावत् रहेगा।

गिरिबाला सिंह, सदस्य सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

प्लॉट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्रमांक 301-001-2014.—मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3(7) में वैष्टित शक्तियों के अधीन मुख्य जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त अन्य जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 10 मई 2019 में परिवर्तन करते हुए निर्देशानुसार निम्न सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है, यह व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी:—

क्र. (1)	मुख्य जिला फोरम (2)	संबद्ध जिला फोरम (3)
1	सागर	दमोह एवं विदिशा
2	भोपाल क्रमांक-1	सीहोर
3	भोपाल क्रमांक-2	रायसेन
4		

उपरोक्त परिवर्तन के साथ दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से मध्यप्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी:—

क्र. (1)	मुख्य जिला फोरम (2)	संबद्ध जिला फोरम (3)
1	भोपाल क्रमांक-1	सीहोर
2	भोपाल क्रमांक-2	रायसेन
3	इन्दौर क्रमांक-1	देवास
4	इन्दौर क्रमांक-2	-
5	जबलपुर क्रमांक-1	मण्डला एवं डिण्डौरी
6	जबलपुर क्रमांक-2	नरसिंहपुर
7	ग्वालियर	भिण्ड एवं मुरैना
8	रीवा	सीधी, शहडोल, अनूपपुर
9	उज्जैन	शाजापुर
10	सागर	दमोह एवं विदिशा
11	रतलाम	झाबुआ
12	मंदसौर	नीमच
13	छिन्दवाड़ा	सिवनी एवं बालाघाट
14	गुना	राजगढ़ एवं अशोकनगर
15	धार	बड़वानी एवं मण्डलेश्वर
16	सतना	कटनी एवं उमरिया
17	खण्डवा	बुरहानपुर एवं हरदा
18	शिवपुरी	श्योपुर एवं दतिया
19	छतरपुर	पन्ना एवं टीकमगढ़
20	होशंगाबाद	बैतूल

माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य आयोग के आदेशानुसार,
राजीव म. आपटे, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. 520-भू-अर्जन-2019.—रेलवे परियोजना रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम-नौढ़िया, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी के निजी भूमि रकबा 9.351 हे. के अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत दिनांक 2 जून 2018 को अधिसूचना जारी की जाकर राजपत्र में दिनांक 15 जून 2018 को प्रकाशित कराया गया तथा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की अधिसूचना दो स्थानीय समाचार-पत्रों में क्रमशः दिनांक 5 जून 2018 एवं दिनांक 7 जून 2018 को प्रकाशित कराया गया था.

उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरान्त विधान सभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तथा संबंधित विभागों से मूल्यांकन की कार्यवाही में विलम्ब होने से भू-अर्जन की कार्यवाही धारा 19 के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की नियत समय-सीमा अवधि के अन्दर अवार्ड पारित नहीं हो सका. चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन परियोजना आम जनता के

व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य रेल लाईन निर्माण का भाग है, यह अर्जन की कार्यवाही रैखिक दिशा में व लोक प्रयोजन के लिए हो रही है, जिसके कारण भू-अर्जन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता है।

मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1)2014-सात-शा 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 खण्ड (ड) के परन्तुक एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए ग्राम नौडिया, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी के कुल रकबा 9.351 हे. के धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही की अवधि आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013)

सीहोर, दिनांक 26 सितम्बर 2019

शुद्धि-पत्र

प्रकरण क्रमांक 20-अ-82-2017-18.—पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब से प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 8 मार्च 2019 को कराया गया था. उक्त अधिसूचित अधिसूचना भूमि का स्थल सत्यापन किये जाने पर सर्वे नं. एवं क्षेत्रफल में विसंगतियां पाई गई, जिनका नियमानुसार दुरस्तीकरण कराया गया. उक्त दुरस्तीकरण के पश्चात् पूर्वोक्त प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

स. क्र.	पूर्वोक्त अधिसूचना धारा 19 में अंकित (संशोधन/विलोपन योग्य)		वर्तमान संशोधित/अद्यतीकृत	
	(1)	(2)	(1)	(2)
	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हे.)	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हे.)
1	—	—	489/82/1	1.263
2	—	—	489/82/3	0.607
3	—	—	83/3	0.506
4	—	—	83/4	2.023
5	94/2	1.610	94/2	0.651
6	467/106	3.763	467/106/1	2.954
			467/106/3	0.809
7	84/1/2	1.640	भू-अर्जन से प्रत्याहृत (धारा 93 के तहत)	
8	454/4/4	0.283	भू-अर्जन से प्रत्याहृत (धारा 93 के तहत)	
9	83/1/1/ख	0.751	भू-अर्जन से प्रत्याहृत (धारा 93 के तहत)	

शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. भू-अर्जन-01(अ-82)2018-19-38

डिण्डौरी, दिनांक 17 जुलाई 2019

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची धारा - 11

जिला	तहसील/ तालुक	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डिण्डौरी	बजाग	खरगहना	1015/1	0.270	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	खरगहना जलाशय योजना मुख्य नहर कार्य हेतु
			856	0.160		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-15 (अ-82) 2019-20-56.—

डिण्डौरी, दिनांक 16 सितम्बर 2019

(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 (1))

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शारान राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मोहरापहरूआ जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम देवगांव प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. रैयपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	देवगांव	महा सिंह/हरलाल	44	0.57	0.46	मोहरापहरूआ जलाशय के डूब क्षेत्र

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत्/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-26 (अ-82) 2019-20-57.—

डिण्डौरी, दिनांक 16 सितम्बर 2019

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूति अर्जन परनवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम 2013 की अनुसूची के खाने (6) में अल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची की धारा - 11

जिला	तहसील/त ालुका	नगर/ग्राम	सेर्व नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे. में	निर्माण एजेन्सी का नाम.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डिण्डौरी	शहपुरा	देवरी कला दांयी तट सबमाइनर 02	624	0.020	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	सारसडोली जलाशय योजना का नहर कार्य
			623	0.050		
			592	0.020		
			525	0.020		
			594	0.030		
			593/2	0.020		
			598	0.040		
			600/2	0.010		
			601/1	0.030		
			601/2	0.040		
			511	0.030		
			510	0.020		
			281	0.010		
			503	0.010		
			513	0.010		
			524/1	0.020		
			528	0.010		
			499	0.010		
			498	0.040		
			283	0.020		
			285	0.010		
			286/2	0.010		
		योग		0.480		
		शासकीय भूमि				
			605/1	0.010		
			517	0.010		
			519	0.020		
		योग		0.040		
		सकल योग		0.520		

2 भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-02 (अ-82) 2019-20-58.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम कुडदर रैयत प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है।

स.क्र.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	8
1	कुडदर प. ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर	कैलाश, राजीव कुमार पिता मुगरू सिंह, कृष्ण लाल, सुदामा बाई, श्यामा बार्ठ सुनती बाई, पुष्पा बाई, पिता मंगरू कमली पति मंगरू	112/1	0.15	0.07	मुडकी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत ग्राम गनवाही माल के पूरक प्रस्ताव
			112/2	0.06	0.06	
2	कपूर पिता मातादीन	137/2	0.39	0.29		
		81/3	0.27	0.13		
3	रमेश पिता मातादीन	137/3	0.20	0.02		
		81/4	0.27	0.27		
4	सहवा पिता मातादीन	178/1	0.71	0.03		
		133/1	0.86	0.86		
5	ढोली पिता मातादीन	109/1	0.21	0.16		
		137/1	0.39	0.08		
		81/2	0.27	0.27		
6	नन्हे सिंह पिता हुडडू	175/5	0.59	0.59		
7	कपूर, अंबिका, सोनसिंह, धनीराम पिता अनूप	80	0.60	0.60		
8	कमली बाई पिता मातादीन	81/1	0.27	0.27		
9	चित्रा पति चन्द्र सिंह	66/2	1.13	0.06		
10	गोटिया पिता जियत लाल	92	1.19	0.17		
11	भदिया बेवा फूलसिंह	164	0.70	0.14		
12	सुखवती पति मुकेश	133/3	0.40	0.12		
13	नरबदिया पति पानीराम	135/3	0.40	0.10		
		176/3	0.10	0.10		
14	बुद्धी बाई पुत्री रनमत	82	1.61	1.26		
		163	1.34	0.01		
15	भूपत पिता नारायण, इन्द्रा, धर्मपत्नि नारायण, गुलाबवती, सरस्वती पुत्री नारायण अमर पिता नारायण	175/4	0.59	0.59		
16	बजारी पिता पंडा	127	0.22	0.22		
		167	0.16	0.16		
17	गंगी बाई, बिसमत बाई पुत्री माहू	128	0.01	0.01		

18	द्रोपती बाई ध.प.स्व.कोप सिंह, लल्ला, राजेन्द्र, गयारसी बाई, गंगोत्री अशोक बाई पिता कोपसिंह	110/1	0.40	0.12
		133/2	1.13	0.08
19	हरि सिंह पिता मरतू	110/2	0.33	0.23
20	प्रेमलाल पिता बुद्धू	119	0.37	0.37
21	शिवलाल पिता भोला	176/2	2.13	0.14
22	हरि सिंह पिता हुड्डू	175/2	0.60	0.54
23	धनराज पिता गुलाब	125/2	0.38	0.25
24	किशन पिता गुलाब	125/1	0.38	0.14
25	सम्हर पिता भोला	176/1	2.13	1.58
	योग :-		20.937	10.090

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत/दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-1 (अ-82) 2019-20-59.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य से प्रभावित ग्राम शहपुरा प.ह.नं. 44 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	शहपुरा प.ह.नं. 44 रा. नि.मं.	शिवदास, रामदास पिता ढोली	682/1	0.995	0.028	बिलगांव जलाशय नहर कार्य
2		मोहम्मद जहीद पिता जान मोहम्मद	436/12 136/15	3.066	0.09	
3	शहपुरा	रामकली पिता रामकुमार	68/7 68/9	0.441 0.218	0.04	
4		चेतन पिता मिहीलाल	432/3/ग	0.202	0.04	
		कुल		4.93	0.198	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-03 (अ-82) 2019-20-60.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम गनवाही माल प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है।

स.क्र.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	वर्तमान में अर्जित रकबा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	8
1	गनवाही माल प.ह.नं. 21 रा. नि.मं. शाहपुर	चमरा/शेखलाल	32/2	0.24	0.06	मुडकी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत ग्राम गनवाही माल के पूरक प्रस्ताव
2		सकुन्तला/कामता प्रसाद	355	0.32	0.32	
3		सम्पत/दल्लू	79/1	0.66	0.35	
			269	0.70	0.20	
			288	0.07	0.07	
			289	0.20	0.05	
4		सम्मल बाई/सम्पत लाल	270	0.12	0.03	
5		कामता प्रसाद/सम्पत लाल	357	0.12	0.12	
			279	0.74	0.20	
6		सम्हर लाल/अमृत	94/5	2.16	0.22	
7		सदन सिंह/देवसिंह	101/1	4.00	0.02	
8		कुवर डोली, अंतु लाल गुलाबी/हीरा लाल	109	0.66	0.02	
9		शंकर बाई, रामकली, धनिया, ओमकार, कन्हैया पति मायाराम	83	0.84	0.26	
10		लमिया बाई, जीवन लाल पति भिन्डा	86	1.92	0.62	
11		दुवाल सिंह/धमर सिंह	78/2	0.90	0.60	
12	हरिदीन, रामप्रसाद शंकर पिता कतकू	94/3	0.20	0.20		
13	नारायण प्रसाद पिता प्रीतम लाल	1	0.65	0.32		
14	संतोष ईदल पिता मन्ना, मूलचंद कली बाई	77	0.39	0.39		
		99	0.38	0.38		
15	भैया लाल/सम्पत	299	0.20	0.08		
		योग :-		15.47	4.51	

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत्/दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-05 (अ-82) 2019-20-61.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम जाटा माल प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डीरी जिला डिण्डीरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

ग्राम का नाम	क्र.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
जाटा माल	1	कोप सिंह पिता भरोसा	92	0.600	0.020	मुडकी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जाटा माल से जाटा रै तक डावर्सन रोड टार रोड निर्माण एवं सुविधा निर्माण कार्य हेतु
	2	दुखनी पिता खत्तू मनबोधी पिता सेमलाल	81	0.640	0.020	
	3	भूरी बाई घ.प. बैगा लाल, फूलवती, मुलिया बाई बगैरा	74.	0.200	0.100	
			50	0.280	0.120	
			41	0.260	0.090	
	4	रामबाई पति कंधई	72	0.160	0.020	
			67	1.280	0.160	
	5	धूमन सिंह इंदला, लीला बाई पुत्र इंदला धनमत, घ. प. इंदला	73	0.190	0.020	
			40	0.400	0.040	
	6	गरभी घ.प.स्व. सुन्दरलाल	77	0.660	0.020	
	7	जररू पिता बुद्धू	66	0.540	0.090	
	8	रूप सिंह पिता पीतम सिंह	64/E	1.240	0.160	
	9	शोभित पिता बुद्धू	63	0.370	0.150	
	10	शान्ति बाई पुत्री समलू	51	0.500	0.030	
	11	सुनीता बाई पित देवी सिंह	49.	0.860	0.050	
	12	भरोसा पिता पन्कू	42	1.380	0.060	
	13	सोमती पुत्री निरपत	31	2.010	0.160	
		Total		11.570	1.300	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत्/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82) 2019-20-62.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लम भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम डा. रै.प.ह.नं. 35 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डीरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि य करने का विचार किया जा रहा है।

क्रम का नाम	क्र.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डोंडा	1	सुहद्रा घ.प. चन्द्रभान, तुलसी बाई घ.प कन्हेदी, राजकुमार पिता कन्हेदी, मुन्ना, मुनसुख, सुखपाल, चन्द्रभान, लालू	185	0.510	0.050	बिलगांव मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डोंडा रै. तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य
	2	फुल्ली बाई घ.प. बुद्ध, शिवप्रसाद, मनीराम, माखन पिता शिवप्रसाद, किसन लाल, कोदू लाल, नकिया बाई, विरेया, मीरा बाई	186	0.510	0.050	
	3	छोटे लाल पिता सम्मत	174	1.940	0.300	
	4	प्रेम लाल पिता सम्मत	175	2.010	0.300	
	5	वीरू पिता सुखैया, कोता घ.प. सुखैया	5/2	2.060	0.050	
	6	वीरसाह पिता सुखैया	5/1	1.150	0.180	
	7	प्रेम सिंह पिता खुटवा	4	1.260	0.220	
	8	तुलाराम पिता जमना	3	0.960	0.240	
	9	दर्गेश पिता बुद्ध, मान सिंह, दसिया, बिसमत पिता बुद्ध, लमिया बेवा बुद्ध	2/4	0.640	0.100	
	10	रामू सिंह पिता शैलू	12	0.800	0.080	
	11	बत्सीरी लाल पिता सहदेव	15/1	0.910	0.150	
	12	पुचम पिता सहदेव	15/2	0.900	0.150	
	13	रामकुवँरु नत्थू, लोक सिंह, कुवरिया, फलबाई घ.प. मंगलू	16	1.930	0.350	
	14	रूपलाल पिता धन्नु	44/1	0.570	0.060	
	15	हरिलाल पिता धन्नु	44/2	0.570	0.060	
	16	पुनीव, दूजा, तीजो बाई तुलसी बाई पिता चैतु	47	2.030	0.200	
	17	पुनिया पिता गिरवर, चैतु, चमरू पिता मंगल, राजकुमार, राममिलन, चम्मन, ओमबाई, रामप्यारी पिता मंगल, रवि नन्नी, रुचि सुन्दरिया पिता तोता, कमला पिता तोता, लल पिता भैया लाल, सगनी पिता भैयालाल	48	2.270	0.160	
	18	भान सिंह पिता ननसी	80	1.180	0.250	
	19	डीमक लाल पिता लक्ष्मण, मुन्नी बाई, संमबाई पिता लक्ष्मण, एइतो बाई घ.प. लक्ष्मण	91	0.830	0.140	
	20	भूगत सिंह पिता राम सिंह	92/2	0.200	0.020	
	21	सुकरती बाई घु.प. रामदीन, जोर सिंह, झनक लाल पिता रामदीन, दोपमी बाई, देवती बाई पुत्री समदीन	77/1	0.320	0.050	
	22	दादू पिता अमोले, मंगली बेवा अमोले, गोलसाय, मानसाय पिता मातादीन, बुद्धसेन पिता अमरू, रोहन पिता भाला, कुवर, लम्मु पिता भगला, ऐतु पिता भगला रोहनिया पुत्री भगला महिया बेबा भगला, गुमानी पिता टिरकू	93	1.160	0.050	
	23	सैमलाल पिता टटी	66	0.320	0.100	
	24	फूलसिंह पिता टटी, किरी बेवा टटी	67	0.320	0.080	
	25	राजकुमार पिता दादू लाल	68	0.330	0.020	
Total				25.680	3.410	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयवाधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-14 (अ-82) 2019-20-63.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित ग्राम घुण्डीसरई शीर्ष कार्य अन्तर्गत घुण्डीसरई जलाशय के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम घुण्डीसरई प.ह.नं. 64 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	घुण्डीसरई	शमशेर सिंह/अजब सिंह	188/1	1.30	0.18	घुण्डीसरई जलाशय के नहर कार्य हेत
2		रतन सिंह/सुखसेन	188/2	0.40	0.05	
3		मोले सिंह/मर्दन	195	0.16	0.04	
		कुल		1.86	0.27	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत्/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-06 (अ-82) 2019-20-64

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के खूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम जाटा रैयत प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. शाहपुरा विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

ग्राम का नाम	क्र.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
जाटा रैयत	1	शान्ति बाई पिता गिरवर	30	0.610	0.070	मुडकी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जाटा माल से जाटा रै तक डावर्सन रोड टार रोड निर्माण एवं पुलिया निर्माण कार्य हेतु
	2	नरबदिया पिता गनपत	29	0.780	0.060	
	3	कतकू पिता माहू	28	0.400	0.020	
	4	जरहू पिता पुसवा	27	0.550	0.020	
	5	दुखनी रतु	31	3.360	0.200	
			37	1.210	0.190	
	6	श्री सुषमा बाई पिता गेदलाल	35	0.340	0.040	
		Total		7.250	0.600	

प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें।

क्र. भू-अर्जन-13 (अ-82) 2019-20-65.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बडझर जलाशय के मुख्य नहर कार्य से प्रभावित ग्राम बडझर माल प.ह.नं. 59 रा.नि.मं. बिछिया विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	बडझर माल	जितेन्द्र सिंह/राजेन्द्र सिंह	01	1.11	0.07	बडझर जलाशय के मुख्य नहर कार्य

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत्/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-08 (अ-82) 2019-20-66.—

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची धारा - 11

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू - अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डिण्डौरी	शहपुरा	सरवाही माल बायी तट मुख्य माइनर	766	0.01	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य
			765	0.14		
			763	0.06		
			759	0.10		
			385/1	0.22		
			385/2	0.02		
			374	0.05		
			372	0.08		
			129	0.17		
			369/1	0.16		
			367/1	0.03		
			365	0.12		
			363	0.26		
			362/1	0.02		
			362/2	0.01		
			357	0.02		
			359	0.07		
			360	0.11		
			330	0.13		
			331	0.01		
			322	0.13		
			333/1	0.04		
			333/2	0.02		
			336	0.08		
			310/1	0.04		
			310/2	0.02		
			311	0.04		
			307/1	0.02		
			237/1	0.04		
			237/2	0.08		
			238/1	0.02		

			238/2	0.10
			240	0.03
			239	0.01
			252/1	0.05
			252/2	0.05
			253	0.03
			254	0.10
			127	0.06
			128/1	0.07
			128/2	0.07
			140	0.03
			130	0.14
			116	0.06
			115	0.10
			113/1	0.06
			113/2	0.06
			102	0.08
			106	0.04
			271	0.08
			273/1	0.03
			274/1	0.05
			274/2	0.04
			275	0.02
			278	0.02
		योग		3.70
		शासकीय भूमि		
			376	0.02
			758	0.03
			358	0.01
			306	0.01
			247	0.01
			117	0.02
			104	0.01
			276	0.02
		योग		0.13
		सकल योग		3.83

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू - अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिप्टी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82) 2019-20-67.—

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

जिला	तहसील/ता लुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकवा	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
डिण्डौरी	शहपुरा	कोहानी मय करौंदी रैयत दायी तट मुख्य माईनर	528	2.81	0.10	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	सारसडौली जलाशय परियोजना का नहर कार्य
			526	0.51	0.01		
			398	2.94	0.16		
			401	1.46	0.05		
			400	0.90	0.05		
			403	0.48	0.02		
			332/1	0.44	0.04		
			332/2	0.60	0.03		
			330	0.71	0.04		
			328	2.24	0.01		
		योग		13.09	0.51		
		शासकीय भूमि					
			399	0.31	0.01		
			333	0.24	0.01		
			329	0.25	0.02		
			536	6.12	0.02		
		योग		6.92	0.06		
सकल योग		20.01	0.57				

2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-04 (अ-82) 2019-20-68

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम विनोदी माल प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है।

स.क.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	8
1	विनोदी	गोविंद / कालूराम	347	2.50	1.00	मुडकी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत ग्राम गनवाही माल के पूरक प्रस्ताव
2	माल प.ह. नं. 22 रा. नि.मं. शाहपुर	दिगम्बर / दीना	346/2	1.20	0.24	
3		सवनी बाई / छोटेलाल	352	0.55	0.27	
4		देव सिंह / जय सिंह	353	0.60	0.11	
5		मैको बाई / रामदीन	359/1	0.40	0.10	
6		यशोदा बाई / जय सिंह	440/1	0.95	0.22	
7		कुलपत / देवल	404/3	0.40	0.40	
8		बलम / रूपसिंह	440/2	0.95	0.05	
9		राधा बाई / रघुवीर	460	4.04	0.17	
10		बसोरिन बाई / लमुआ	356	1.06	0.23	
11		गुलाब / बजरु	357	1.04	1.04	
		योग :-		13.690	3.830	

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत्/दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-10 (अ-82) 2019-20-69.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कटेहरा प.ह.नं. 36 रा.नि.मं. अमोरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	दर्तगान में अर्जित रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	कटेहरा	बैसाखू सिंह पिता छोटा	266/1	4.34	0.32	बिलगांव मध्यम परियोजना के डूब

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-11 (अ-82) 2019-20-70

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बरगांव वियर के निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम बरगांव प.ह.नं. 41 रा.नि.मं. शहपुरा तहसील शहपुरा डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

ग्राम का नाम	क्र.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
बरगांव	1	टन्दूराम पिता मंसाराम	1566/1	0.310	0.050	बरगांव वियर के निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव
	2	रतुमा, कन्ना, जमना पिता चौधर	1641	0.120	0.060	
	3	घनश्याम, मुकेश पिता जंगल, नन्ही बाई पति जंगल	1642	0.070	0.040	
	4	नारायण पिता जियालाल	1646/1	0.400	0.120	
	5	अखिलेश पिता जियालाल	1646/2	0.400	0.090	
	6	सेवेन्द्र कुमार पिता मायाराम	1646/3	0.540	0.080	
	7	मनीष कुमार पिता मायाराम	1646/4	0.540	0.090	
	8	आशीष कुमार पिता मायाराम	1645/5	0.530	0.070	
		Total		2.910	0.600	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-12 (अ-82) 2019-20-71.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित चंदवाही जलाशय स्पिल क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कटेहरा पं.ह.नं. 38 रा.नि.मं. अमेरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की आपत्ति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	चंदवाही	झामू बिसराम पिता समनू बगैरह	645	0.31	0.05	चंदवाही जलाशय स्पिल क्षेत्र
2		लंगडा पिता समनू	649/2	0.26	0.05	
3		हरिवर पिता प्रेमलाल	651	0.27	0.10	
4		सुकरू पिता प्रेमलाल	652	0.30	0.11	
		कुल		1.14	0.41	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 61-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-8034-1.—

मुरैना, दिनांक 18 जुलाई 2019

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-पासोनकलां प0ह0क0-51 रा0नि0 वृत्त-04 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 1.740 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पासोनकलां प0ह0क0-51 रा0नि0 वृत्त-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील सवलगढ़
ग. ग्राम पासोनकला
घ. लगभग क्षेत्रफल 1.740 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वेनं बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	135	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.460	0.103	पतिराम बा नरोत्तम नाबा आत्मज मुल्ला सर प्र पिता जाति त्यागी ब्रा निग्राम
2	136	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.230	0.153	मु राज कुंअरि देवा ल्होरे केदार प्रकाश श्रीलाल पुत्रगण ल्होरे बादामी लीलावती कलावती नारायणी पुत्रियां ल्होरे जाति किरार समान भाग नि ग्राम
3	139	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.390	0.084	भागवती पत्नी विजयसिंह रकवा 0.25 उर्मिला पत्नी दिनेश रकवा 0.14 दर हि 1/2 जगन्नाथ पुत्र बुद्धी हि 1/2 जाति धाकडनिग्राम
4	144	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.380	0.097	भागवती पत्नी विजयसिंह रकवा 0.25 उर्मिला पत्नी दिनेश रकवा 0.14 दरहि 1/2 जगन्नाथपुत्र बुद्धी हि 1/2 जाति धाकड निग्राम

5	186 /1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.125	सुशीला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नाबा पुत्री सुखराम सरप्र मां खुद समान भाग जाति त्यागी नि ग्राम
6	186 /2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.092	राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल जाति त्यागी नि ग्राम
7	191	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.490	0.095	अतुरभुज पुत्र कलुआ जाति ब्रा नि ग्राम भूमिस्वामी
8	195	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.490	0.250	कम्मोदा वेवा परीक्षत कन्हैया राजेन्द्र सतीश पुत्रगण परीक्षत रामवती द्रोपती उर्मिला सरप्रसती मुन्नी पुत्रियां परीक्षत जाति त्यागी नि ग्राम स भा भूमिस्वामी
9	200	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.099	शिवराम पुत्र बुद्धी जाति किरार नि ग्राम
10	201	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	0.175	जयलाल पुत्र हरिप्रसाद जाति किरार नि ग्राम
11	202	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.002	तुस्ती प्रभू पुत्र मतिखान जाति किरार नि ग्राम
12	206	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.157	रामनिवास बा बनवारी वासुदेव नाबा पुत्रगण सूरजमल सरप्र पिता खुद जाति त्यागी नि ग्राम
13	207	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.370	0.049	मु सुशीला वेवा रामजीलाल राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल पुष्पा कमलेश गुड्डडी योगेश पुत्रियां रामजीलाल जाति त्यागी समान भाग हि 2/7 सूरजमल पुत्र पन्ना हि 2/7 मु सुशीला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नाबा पुत्री सुखराम सरप्र मां समान भाग हि 3/7 जाति त्यागी नि ग्राम
14	209	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.259	मु सुशीला वेवा रामजीलाल राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल पुष्पा कमलेश गुड्डडी योगेश पुत्रियां रामजीलाल जाति त्यागी समान भाग हि 1/5 सूरजमल पुत्र पन्ना मु रूकमा वेवा पन्ना समान भाग हि 2/5 मु सुशीला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नाबा पुत्री सुखराम सरप्र मां समान भाग हि 1/5 रामनिवास बनवारी वासुदेव पुत्रगण पुत्रान सूरजमल समान भाग हि 1/5 जाति त्यागी नि ग्राम
कुल	14			4.770	1.740	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सभाक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। उक्त इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 74-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-8036-3.—

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-पूछरी 50ह0क0-32 रा0नि0 वृत्त-38 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 0.388 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पूछरी, 50ह0क0-32 रा0नि0 वृत्त-38 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
 ख. तहसील सवलगढ़
 ग. ग्राम पूछरी
 घ. लगभग क्षेत्रफल 0.366 हैक्टेयर
 भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	156	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	0.052	मु0 जसोदा बेवा पांचा रघूबीर पुत्र पांचा नाबा0 सर0 मु0 जसोदा कंचन नाबा0 पुत्री पांचा सर0 मां जसोदा समान भाग 1/20 सुमित्रा किन्ती पुत्रियां हरिमुख समान भाग 1/20 भूमिस्वामी रतनू दुर्जन पुत्रगण हटीला मु0 रामो बेवा श्यामलाल समान भाग 1/20 कान्ती पुत्री धनसुख भाग 1/20 केशरदे बेवा धनसुख भाग 1/4 मु0 जनूका बेवा हटीला रामकुअरि भन्ती बैकुन्ती बैजन्ती पुत्रियां हटीला समान भाग 7/32 राजेन्द्रसिंह बीरसिंह पुत्रगण
						श्यामलाल नारायणीबाई शीलाबाई पुत्रियां श्यामलाल 1/4 भाग भूमिस्वामी मु0 रामो बेवा श्यामलाल 1/32 रतनू दुर्जन पुत्रगण हटीला जाति जाटव पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.12
2	157	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	0.005	रतनू लालाराम पुत्र हटीला समान 2/3 भाग भूमिस्वामी राजेन्द्र बीरसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति जाटव पता नि0 ग्राम 1/3 समान भाग भूमिस्वामी भू0रा0शा0 132
3	167/3/ मिन 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.150	0.149	नर्वदा देवी बेवा भरोसीलाल जाति बाढई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 11.50 भूमि विक्रय से वर्जित है।

4	169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270	0.160	पवनकुमार पुत्र केदारलाल बेश्य रामरतन पुत्र दहोलीराम जाति जाटव समान भाग 12/27 कौशलचन्द्र पुत्र मुन्नालाल गर्ग जाति वैश्य नि० ग्राम हाल निवासी सबलगढ़ रामलखन राजपाल पुत्रगण दौजीराम समान भाग 7/27 जाति जाटव नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा० 1.75
कुल किता 04					0.366	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से सम्बन्धित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 54-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-8036-1.—

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-मानपुर 40ह0क0-05 रा0नि0 वृत्त-01 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 2.020 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- मानपुर, 40ह0क0-05 रा0नि0 वृत्त-01 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील सवलगढ़
ग. ग्राम मानपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल 2.020 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	240	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.740	0.584	मोंगी पुत्र अंगद जनकबाई पुत्री अंगद जाति कडेरा पता नि0 ग्राम समान भाग शासकीय पटटेदार।
2	241	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.740	0.450	धम्पु पुत्र मंगलिया रामबाई पुत्री मंगलिया समान भाग 1/2 लीला बेवा रामचरण रामसिंह मोहरसिंह पुत्रगण रामचरण उर्मिला महेश्वरी पुत्रीयां रामचरण समान भाग 1/4 रमको बेवा बालू जगदीश प्रकाश रघुवीर पुत्रगण बालू लीला प्रेम अनीता पुत्रीयां बालू समान भाग 1/4 जाति

						कडेशा नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार।
3	242	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.740	0.402	रामश्री वेवा मांगी शिवराज शिवदयाल पुत्रगण मांगी शकुन्तला ममता सुनीता पुत्रीयां मांगी जाति कडेशा पता नि० ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार।
4	243	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.740	0.326	जगन्नाथ पुत्र परिमाल जाति रावत नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी।
5	390	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.110	रामनाथ दत्तक पुत्र हरीसिंह जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।
6	391	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.090	जगरूप पुत्र मिश्री जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।
7	392	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	0.040	लाखन पुत्र मिश्री जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।
8	393	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	0.018	श्रीपति पुत्र लक्ष्मी जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।
कुल किता 08					2.020	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 75-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-8035

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-काजोना प0ह0क0-33 रा0नि0 वृत्-38 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 0.910 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- काजोना, प0ह0क0-33 रा0नि0 वृत्-38 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील सवलगढ़
ग. ग्राम काजोना
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.910 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-
है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	45	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.650	0.063	सोनेराम पुत्र भगवन्त, बा0 पीतम कुवरराज श्रीनिवास पुत्रगण जनवेद लीला पुत्री जनवेद, बा0 त्रिवेणी बेवा ब्रजलाल, महेश रामवीर पुत्रगण ब्रजलाल, मिथलेश पुत्री ब्रजलाल, बैजन्ती बेवा रतनू, शीला पुत्री रतनू पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
2	47	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	0.025	रामभजन दर्शन रामनिवास पुत्रगण परिमाल फूला रामदुलारी छोटी सावित्री पुत्रियां परिमाल हि0 1/2 स0 भाग जाति ब्रा0 निवासी पुछरी रामकटोरी बेवा रमेशचन्द सोनेपाल पुत्र ल्होरेराम समान भाग 1/2 जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी।
3	48	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.038	रामभजन दर्शन रामनिवास पुत्रगण परिमाल फूला रामदुलारी छोटी सावित्री पुत्रियां परिमाल हि0 1/2 स0 भाग जाति ब्रा0 निवासी पुछरी रामकटोरी बेवा रमेशचन्द सोनेपाल पुत्र ल्होरेराम समान भाग 1/2

						जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी।
4	51	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	0.029	भगवानलाल पुत्र घसिया सावो ल्होई पुत्रियां घसिया स० भाग 1/2 ल्होई चिरौंजी रतनबाई पुत्रियां बिस्सू स० भाग 1/2 जाति लुहार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.50
5	67	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.360	0.037	राजाराम श्रीगणेश पुत्रगण घसिया जाति रावत पता नि० ग्राम मांगरोल समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 9.69
6	68	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.190	0.043	शंकरलाल पुत्र भगवानलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 8
7	69	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.013	शंकरलाल पुत्र भगवानलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.44
8	72	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	0.029	शंकरलाल पुत्र भगवत जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.50
9	73	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.160	0.021	परीक्षित द्वारका रमेश नारायण पुत्रगण सरवन जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमला रामरती पुत्रियां सरमन जाति गडरिया पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.45
10	74	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.012	सूबेलाल पुत्र शंकरलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.77
11	77	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.470	0.090	बीरवल बादशाह पुत्र सुन्दरलाल जाति गडरिया पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.00
12	82	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.430	0.199	लीला पत्नी रामेश्वर जाति ब्राम्हण पता नि० ग्राम मांगरोल भूमिस्वामी भू-राजस्व 9.11
13	85	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.530	0.086	परीक्षित द्वारका रमेश नारायण पुत्रगण सरवन जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमला रामरती पुत्रियां सरमन जाति गडरिया पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 4.98
14	102	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	0.050	रोशन हाकिम रामस्वरूप पुत्रगण भगवानलाल हि० 1/6 समान भाग सावो ल्होई पुत्रियां भगवानलाल हि० 2/6 ल्होई चिरौंजी रतनबाई पुत्रियां बिस्सू हि० 1/2 जाति लुहार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.12
15	103	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.720	0.067	लालपति पुत्र पन्नालाल हि० 0.12 लालपति पुत्र पन्नालाल हि० 0.04 कल्लो पुत्री पन्नालाल हि० 0.12 मु० रामश्री वेवा बाबू राममूर्ति पुत्र बाबू पुष्पा पुत्री बाबू हि० 0.04 समान भाग रेश्मी पत्नी परसराम हि० 0.018 सभी जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 11.00
16	104	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	0.018	दीपक पुत्र द्वारिका गौड जाति बढई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

17	105	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.430	0.090	द्वारिका महेन्द्र सतीश पूरन पुत्रगण शंकर कम्पूरी पुत्री शंकर मु0 गणेशी बेवा शंकर जाति गौड पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.06
कुल किता 17					0.910	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, रत्न, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयाजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 57-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-8034-2.—

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यांपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम- पासोनखुर्द 40ह0क0-51 रा0नि0 वृत्-04 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 1.023 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पासोनखुर्द 40ह0क0-51 रा0नि0 वृत्-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ़
ग. ग्राम	पासोनखुर्द
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.023 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वेनंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	190	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.350	0.060	रामचरनपुत्र गयाराम जा.त्यागी ब्रा नि ग्राम भूमिस्वामी
2	191	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.470	0.003	रामदयालपुत्र मंगलिया जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
3	206	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.070	0.011	मु शान्ती वेवा रोशन मानपाल हेमराज रामबरन पुत्रगण रोशन रोनाबाई पुत्री रोशन जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
4	207	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.300	0.014	रामवरनपुत्र परिमाल रकवा 0.04 - 1/2 रामवरन दत्तकपुत्र दिलीप रकवा 0.10-1/2 दरभाग 1/2 मु. अवन्तिका वेवा अशोक दुर्गेश बा0 अनेक ब्रजपाल नाबा0 पुत्रगण अशोक स0भा0 1/2 जाति गो0 पू0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

	208	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.770	0.075	सरदार नानकराम रामस्वरूप पुत्रगण दौलतिया जाति ब्र. नि ग्राम भूमिस्वामी
6	211/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.033	जगन्नाथ पुत्र हरिकिशुना जा धाकड़ नि नारायणपुरा भूमिस्वामी
7	212	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.550	0.085	मु द्रोपति वेवा रमेशचन्द हि 1/2 रेखा पत्नी वासुदेन हि 1/4 रेखा पत्नी अखलेश हि 1/4 जा त्यागी नि ग्राम भूमिस्वामी
8	215	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	0.111	रामहेत दिलीप पीतम पुत्रगण जगन्नाथ हि 3/4 मु अवन्तिका वेवा अशोक दूर्गेश बा अनेक ब्रजपाल नाबा पुत्रगण अशोक सरप्र मां स भा हि 1/8 रामवरन पुत्र परिमाल हि 1/8 जा त्यागी नि ग्राम स भा भूमिस्वामी
9	216	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.640	0.157	रामहेत दिलीप पीतम पुत्रगण जगन्नाथ हि 3/4 मु अवन्तिका वेवा अशोक दूर्गेश बा अनेक ब्रजपाल नाबा पुत्रगण अशोक सरप्र मां स भा हि 1/8 रामवरन पुत्र परिमाल हि 1/8 जा त्यागी नि ग्राम स भा भूमिस्वामी
10	217	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.370	0.307	सरदार नानकराम रामस्वरूप पुत्रगण दौलतिया जा ब्र. नि ग्राम भूमिस्वामी
11	237	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	0.167	ग्यासिया पुत्र हरीचन्द हि 50/71 रामहेत पुत्र गनपति हि 21/71 जाति त्यागी भूमिस्वामी
कुल कित्ता	11			5.390	1.023	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 54-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-1112/2.—

मुरैना, दिनांक 28 जनवरी 2019

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-शयोपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- देवपुर, तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 8.120 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूंबों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम- देवपुर प0ह0न0- 48 रा.नि. वृत्त- 38 में उक्त परियोजना के लिये 8.120 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अमिलेख अनुसार)
1	140	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	श्रीनिवास नरोत्तम पुत्रगण प्रभु रामपति बैकुण्ठी पुत्रियां प्रभु समान भाग 5/24 रामस्वरूप, रामदयाल, पुत्र हजारी सम्पती पुत्री हजारी 15/24 समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद पुत्र मोती रामहेती पुत्री मोती हि0 1/6 समान भाग पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
2	153	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.116	शंकर पुत्रगण काशीराम हि0 1/2, महेश, सियाराम पुत्रगण शंकर हि0 1/2 स0 भा0 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भूरा0 14.69
3	158	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.057	हरिचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास वा0 रामलखन नावा0 पुत्रगण केशव मु0 छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी वा0 रूपो नाबा0 पुत्रियां केशव सर0 मां0 खुद हि0 1/4 समान भाग जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका कसन्ती बेवा तिलोका कलावती वा0 वतोला नाबा पुत्रियां तिलोका सरप0 मां 1/12 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी मानन्द वालमुकून्द पुत्रन गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु0 रामकटोरी बेवा सत्ते

					लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कमल दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि0 1/12 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.00
4	160	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.368	रामराज सुरेश वा0 पप्पू नावा पुत्रगण जीवनलाल सर मां खुद कोशा पुत्री जीवनलाल जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी।
5	168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	रामराज सुरेश वा0 पप्पू नावा0 पुत्रगण जीवनलाल सर मां खुद कोशा पुत्री जीवनलाल जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी।
6	201	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.408	श्रीकान्त रमाकान्त नरेश बीरेन्द्र बिष्णू पुत्रगण बनमाली निर्मला कुसुम पुत्रियां बनमाली जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम सवलगढ समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.19
7	202	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.403	लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु0 महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त वा0 हेमन्त नावा0 पुत्रगण उमाकान्त सरप0 मां0 रश्मि पुत्री उमाकान्त स0 भाग 5/12 जाति ब्रा0 पता नि0 सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.31
8	203	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु0 महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त वा0 हेमन्त नावा0 पुत्रगण उमाकान्त सरप0 मां0 रश्मि पुत्री उमाकान्त स0 भाग 5/12 जाति ब्रा0 पता नि0 सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.42
9	204	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.456	होरीलाल पुत्र मुरली हि0 1/2 सोनपाल पुत्र रामचरण दोनो जाति काछी हि0 1/10 सतीश पुत्र बाबूलाल बादामी पत्नी सतीश राठौर कमलेश पत्नी नरोत्तम राठौर हि0 1/10 पता नि0 सीतापुर वस्ती सबलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.82
10	214	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.447	होरीलाल पुत्र मुरली हि0 28/56 सोनपाल बिरेन्द्र पुत्रगण रामचरण हि0 112/56 शीला पुत्री रामचरण हि0 03/56 सभी जाति काछी कमलेश पत्नी नरोत्तम राठौर पता नि0 सितापुर वस्ती सवलगढ 0.138/56 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.56

11	215	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.038	लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु0 महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स0 भाग 5/12 जाति ब्रा0 पता नि0 सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.42
12	216	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.549	लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु0 महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स0 भाग 5/12 जाति ब्रा0 पता नि0 सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.59
13	218	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	रामरूप जितेन्द पुत्रगण सुरेशकुमार हि0 1/5 समान भाग मु0 रामश्री बेवा जीवनलाल कल्याण बदन दाताराम हलुका हरेती ममता पुत्रीया जीवनलाल हि01/5 समानभाग मु0 मंगल वेवा गज्जे कमलसिंह भूपसिंह दौलतराम पुत्रगण गज्जे रूमाली गुडडी मीना मीरा पुत्रीया गज्जे समान हि0 1/5 समान भाग भूमि स्वामी मु0 सवित्री वेवा रघुनन्दन रामदेई रामरती लीला हको भूरी पुत्रिया रघुनन्दन समान भाग 1/10 मु0 ल्होई बाई वेवा वद्रीप्रसाद हि0 1/10 प्रहलाद नरेश सुरेश अमरसिंह पुत्रगण गणेशा समान भाग 1/5 जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 9.31
14	219	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	मु. बैजन्ती बेवा भरतलाल मानसिंह नावा पुत्र भरतलाल ललिता कल्ले धन्नी नावा पुत्रियां भरतलाल सर0 मां जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00
15	220	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.178	रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह आ अंगद जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू0रा0शा0 बिलमुक्ता 32.57
16	221	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	मु. बैजन्ती बेवा भरतलाल मानसिंह नावा पुत्र भरतलाल ललिता कल्ले धन्नी नावा पुत्रियां भरतलाल सर0 मां जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.17
17	222	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.94
18	223	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.296	रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू0रा0शा0नं0 220

19	226	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.328	रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू०रा०शा०नं० 220
20	228	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	मंदिर पुख्ता श्री मुरलीमनोहर जी बाके ग्राम ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पटटेदार भू० रा० शा० 5
21	229	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.085	मंदिर पुख्ता श्री मुरलीमनोहर जी बाके ग्राम ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पटटेदार भू० रा० शा० 5
22	230	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.365	रामगोपाल रामनारायण पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00
23	235	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
24	259	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास बा० रामलखन नाबा० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी बा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां खुद हि० 1/4 समान जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका बसन्ती बेवा तिलोका कजावती बा० वतोला नाबा० पुत्रियां तिलोका सर० मां 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मानन्द बालमुकन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि० 4/12 मु० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रूले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
25	280	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	रमेश भगवानसिंह कैलाशचन्द्र धनीराम पुत्रगण रामचरन समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
26	282	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.560	हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास बा० रामलखन नाबा० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी बा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां खुद हि० 1/4 समान जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका बसन्ती बेवा

					तिलोका कजावती बा० वतोला नाबा० पुत्रियां तिलोका सर० मां 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मानन्द बालमुकन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि० 4/12 मु० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रूले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
27	284	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	महेश सियाराम पुत्रगण शंकर जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
28	285	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	शंकर पुत्र काशीराम हि० 1/4 महेश सियाराम पुत्रगण शंकर हि० 1/4 समान भाग मुरारी बिजयसिंह पुत्रगण सुखुआ मिथलेश पुत्री सुखुआ हि० 1/2 समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू०रा०शा० लगान मुक्त।
29	288	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	मु० मुल्लाबाई बेवा बुद्धू लाखनसिंह बीरवल पुत्रगण बुद्धू रेवती फूला लेखा रामरती पुत्रियां बुद्धू जाति रावत पता नि०ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
30	302	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	मुन्शी पुत्र लखपती नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.75
31	304	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.400	हरिचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण ऊकार मुन्नी पुत्री ऊकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास वा० रामलखन नावा० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी वा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां० खुद हि० 1/4 समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका वसन्ती बेवा तिलोका कलावती वा० वतोला नावा पुत्रियां तिलोका सरप० मां 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी मानन्द बालमुकन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि० 4/12 मु० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 259
32	305	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270	श्रीनिवास नरोत्तम पुत्रगण प्रभु रामपति बैकुण्ठी पुत्रियां प्रभू समान भाग 5/24 रमेशचन्द्र पुत्र रामस्वरूप रामदयाल पुत्र हजारी सम्पती पुत्री

					हजारी 15/24 समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद पुत्र मोतीराम हेती पुत्री मोती जाति रावत पता नि० ग्राम 1/6 भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.56
33	306	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	कम्प्योटर पुत्र लखपति नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00
34	308	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.053	भीमसेन बादशाह पुत्रगण कन्हैया हि० 2/8 समान भाग भूमि स्वामी लीला बाबूली शीला मीरा पुत्रियां कन्हैया हि० 4/8 समान भाग मु० पपीता वेवा दिनेश अरविन्द रविन्द्र नावा० पुत्रगण दिनेश सरप० मा० खुद हि० 1/8 समान भाग राकेश पुत्र रामदीन भाग 1/8 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.46
35	309	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.064	महोरसिंह हुकुमसिंह नावा० पुत्रगण शिवसिंह सर० मु० नारायणी मा० खुद समान भाग 2/3 राकेश सुरेन्द्र राजेन्द्र पुत्रगण कम्प्योटर नावा० सरप० कम्प्योटर पिता खुद जाति रावत पता नि० ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.63
36	311	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	कम्प्योटर पुत्र लखपति नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.60
37	312	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.121	मु. नारायणी बेवा शिवसिंह हाकिम सिंह हुकुमसिंह नावा० पुत्रगण शिवसिंह सरप० मा० खुद जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी रामकेश्वर रामवती पिस्ता नावा० पुत्रियां शिवसिंह सर० मा० खुद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.30
38	318	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.374	रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी ब्रा० पता नि० सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.94
39	320	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.378	रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी ब्रा० पता नि० सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.56
कुल				8.118	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवनृदा में

खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 80-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-8033

मुरैना, दिनांक 18 जुलाई 2019

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत].

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-बावडीपुरा प0ह0क0-05 रा0नि0 वृत्-01 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 1.504 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- बावडीपुरा, प0ह0क0-05 रा0नि0 वृत्-01 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ़
ग. ग्राम	बावडीपुरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.504 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	774	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270	0.039	शिवसिंह राममुनेश दिनेश पुत्रगण करन कमला विमला ओमवती पुत्रीयां करन समान भाग जाति रावत पता नि0 ग्राम शासकीय पटटेदार।

2	798	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.730	0.037	करन परिमाल पुत्रगण मोतिलाल कलावती रामहेती कटोई रामरती पुत्रीयां मोतिलाल समान भाग 196/306 छोटी पुत्री झण्डू हि0 77/306 हरेत वकील पुत्रगण कन्हैया लीला मथुरा ल्होई हरेती पुत्रीयां कन्हैया समान भाग 7/8 राहुल नाबा0 पुत्र दिनेश भाग 1/8 दर भाग 33/308 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
3	806	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	0.116	रामहेती वेबा सुगन महीपति पुत्र सुगन भाग 1/7 पाँच्चा केदार नाबा0 पुत्रगण चैनसुख
						सर0 भाई सुगन सुमित्राबाई हटीलीबाई उर्मिलाबाई कम्मोदाबाई नाबा0 पुत्रीयां चैनसुख सर0 भाई सुगन स0 भाग 6/7 जाति जाटव नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार।
4	856	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.056	मु0 उर्मिला बेवा मुन्ना सोमवती नाबा0 पुत्री मुन्ना लोकेन्द संतोष नाबा0 पुत्रगण मुन्ना सर0 उर्मिला मां स्व0 समान भाग 1/3 रामवती उम्मेदी पुत्रीयां चन्दू जाति जाटव नि0 ग्राम 2/3 समान भाग शासकीय पट्टेदार।
5	878	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.165	मंदिर श्री राधाकृष्ण जी का बाके ग्राम कैमलाकला माफो औकाफ डिपार्ट प्रबधक कटोईटर मुन्ना, शासकीय पट्टेदार।
6	879	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.920	0.634	रामवररूप लेश हरेत भागीरथ हेमराज मलिखान पुत्रगण गंगाधर रामपती बादामी लेखा पुत्रीयां गंगाधर जाति रावत नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
7	880	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.048	तोता पुत्र चुन्नी जाति जाटव पता नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार।
8	881	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	0.050	कचन वेवा रामू लाखन श्रीपति रूपसिंह पुत्रगण रामू कमला विमला पुत्रीयां रामू समान भाग जाति जाटव नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार।

9	882	भूमिस्वामी	भूमि	0.120	0.120	पुत्रगण रामू कमला विमला पुत्रीयां रामू समान भाग जाति जाटव नि० ग्राम शासकीय पटटेदार।
10	884	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.133	अमृतलाल अनिलकुमार सुरेश पुत्रगण मुरारीलाल दिमला पुत्री मुरारीलाल समान भाग जाति जाटव नि० ग्राम भूमिस्वामी।
11	887	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.106	वैजन्ती पुत्री भूदरिया पत्नी रतनलाल जाति जाटव नि० शिवलाल का पुरा, शासकीय पटटेदार।
कुल किता 11					1.504	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी राजस्वियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन पुनर्जांच और पुनर्जांचस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबन्धित सम्यक् जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्जांचस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में बिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निमाण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, जो छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला प्रशासन के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायसगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस का पूरा समय के दौरान भूमि योजना एवं निर्माण किता जांच संचालित है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किया है। उपरोक्त अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है।

प्र. क्र. 79-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-8036-4.—

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-रामपहाडी प0ह0क0-34 रा0नि0 वृत्त-04 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 0.154 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-रामपहाडी प0ह0क0-34 रा0नि0 वृत्त-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ़
ग. ग्राम	रामपहाडी
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.154 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	403	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.500	0.027	बुधो पुत्री गज्जे जाति रावत पता नि0 ग्राम रामपहाडी भूमिस्वामी।
2	410	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	0.127	लुखुरु पुत्र हीरालाल रामेश्वरी पुत्री हीरालाल समान भाग 8/12 मु0 गया कुआंरी बेवा रामचरन महाराज सिंह पुत्र रामचरन प्रेम रामदेवी पुत्रियां रामचरन समान भाग 4/12 दर भाग 1/4 जाति रावत नि0 रामपहाडी शिवनारायण प्रीतम पातीराम पुत्रगण रघुनन्दन गुलाबकुअंर बेवा रघुनन्दन बुधो रामरती विमला रेशा पुत्रियां रघुनन्दन समान भाग हि0 1/4 मुरारी कल्याण पुत्रगण मदनू सोनी कमला पुत्रियां मदनू जाति रावत

					समान भाग हि0 1/4 नि0 उरहेरा दकुबो बेवा रामचरण नबाब हरिसिंह नरेश दिलीप छोटू पुत्रगण रामचरण नर्मदा रामबाई पुत्रियां रामचरण जाति औठ नि0 सबलगढ हाल नि0 रामपहाडी समान भाग हि0 1/4 भूमिस्वामी।
कुल किता 0३			0.700	0.154	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निम्न है अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का धरन उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लैट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 10-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-मुरैना-2019-7743

मुरैना, दिनांक 12 जुलाई 2019

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटा लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- पहाड़ी, तहसील- वामौर, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल रकवा 4.012 हे० एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील- वामौर के ग्राम- पहाड़ी, प०ह०न०- 00087, रा०नि०वृत्-08 में उक्त परियोजना के लिये 4.012 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	431	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	पंजाबसिंह उर्फ शिवराम, पूरनसिंह रामहेत पिता पीतमसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
2	432	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	पंजाबसिंह उर्फ शिवराम, पूरनसिंह रामहेत पिता पीतमसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
3	435	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005	हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जण्डेल कप्तान राजगिरि महेश पिता हरीगिरि कमला नारायणी पुत्रियां हरिगिरि समान 6/16 मुकेश वनिया विनोद पि. केशव समान. 1/16 शीला वेवा पूरन हि. 1/16 दर हि. 1/2 फूलो बेवा सुन्ती हि. 1/2 जाति गुसाई पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक
4	436	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.051	हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जण्डेल कप्तान राजगिरि महेश पिता हरीगिरि कमला नारायणी पुत्रियां हरिगिरि समान 6/16 मुकेश वनिया विनोद पि. केशव समान. 1/16 शीला वेवा पूरन हि. 1/16 दर हि. 1/2 फूलो बेवा सुन्ती हि. 1/2 जाति गुसाई पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक

5	439,	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/4 केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह जाति गू ठा पता निवासी ग्राम समान 3/4 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.73 भोगीराम पि. चक्रपान जाति गू ठा. अधिपत्य कृषक
6	440	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.058	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी
7	441	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी
8	442	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि
9	443	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.002	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान

					भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी आंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी
10	459	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी आंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी
11	461	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.061	कुशमा पप्पो रूमाली पुत्रीयां रामस्वरूप समान भाग 1/3 अंगूरी बेवा सन्तोषी भूरी बेवा मुन्नेश समान भाग 1/3 कम्पोटर पुत्र बहादुरा भाग 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
12	471	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	कुशमा पप्पो रूमाली पुत्रीयां रामस्वरूप समान भाग 1/3 अंगूरी बेवा सन्तोषी भूरी बेवा मुन्नेश समान भाग 1/3 कम्पोटर पुत्र बहादुरा भाग 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
13	472	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.024	बदना, नवलसिंह, जगन्नाथ पिता हरीविलास , रामप्यारी पुत्री हरिविलास जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
14	473	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.048	बलिराम, माताप्रसाद, रामबीर पि. हरिमोहन समान भाग 3/7 शान्ती रामवती सिद्धारबाई अंगूरी पुत्रियां हरिमोहन समान भाग 1/14 दर भाग 1/2 सुन्दर केशव हेमसिंह नरोत्तम पि. धर्मपाल साबो कैलाशी पुत्रियां धर्मपाल समान भा 6/14 आशाराम पि. राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पुत्रियां राजाराम स.भा. 1/14 दर भाग 1/2 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15	474	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	आशाराम पुत्र राजाराम शीला मुनेश कौमेश कविता पुत्री राजाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

16	475	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.081	बलिराम, माताप्रसाद, रामबीर पि. हरिमोहन समान भाग 3/7 शान्ती रामधेती सिद्यारबाई अंगूरी पुत्रियां हरिमोहन समान भाग 1/14 दर भाग 1/2 सुन्दर केशव हेमसिंह नरोत्तम पि. धर्मपाल साबो कैलाशी पुत्रियां धर्मपाल समान भ्र 6/14 आशाराम पि. राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पुत्रियां राजाराम स.भा. 1/14 दर भाग 1/2 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17	581	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.082	पहलवानसिंह पुत्र पीतमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
18	582	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	सुनील,किशना ना.वा.पि. रामहेत गुडिया नावा. पुत्री रामहेत सर माँ. भगवती बेबा रामहेत समान भाग 1/8 बन्टी बासदेव नरेश पि. रोशन गुडडी सरोज सुनीता पुत्रीयां रोशन प्रेमाबाई बेबा रोशन समान भाग 7/8 दर भाग 1/2 कल्ला भूरा प्रमोद पप्पू पि. रामभरोषी समान भाग 1/2 जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
19	585/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	बिजेन्द्रसिंह राजकिशोर भारत रामनारायण पुत्तसिंह पि. सुल्तानसिंह प्रागो बेवा सुल्तानसिंह गीता कम्पूरी पुत्रियां सुल्तानसिंह स.भा. 1/2 शोभाराम नत्थी पुत्रगण सूबालाल ठकुरो पुत्री सूबालाल स0भाग 3/8 मुन्नी बेवा कल्ली भोपा उर्फ भूपेन्द्र खैरू विष्णु पि. कल्ली स.भा 1/8 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20	585/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		बिजेन्द्रसिंह राजकिशोर भारत रामनारायण पुत्तसिंह पि. सुल्तानसिंह प्रागो बेवा सुल्तानसिंह गीता कम्पूरी पुत्रियां सुल्तानसिंह स.भा. 1/2 शोभाराम नत्थी पुत्रगण सूबालाल ठकुरो पुत्री सूबालाल स0भाग 3/8 मुन्नी बेवा कल्ली भोपा उर्फ भूपेन्द्र खैरू विष्णु पि. कल्ली स.भा 1/8 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21	705	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	केशवसिंह हि. 0.178/.763 कलियानसिंह हि. रकवा 334/.763 रानाजीत हि रकवा 251/.763 पुत्रगण औतारसिंह जाति गूठा.

					पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
22	706	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.081	दशरथ माधो कप्तानसिंह नवलसिंह जवरसिंह पि. कुढेरसिंह आनन्दी बेवा विशाल समान भाग 6/7 बीरेन्द्र बैजनाथ रामधन पि. रामस्वरूप रामो बेवा रामस्वरूप गीता पुत्रीरामस्वरूप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान 1/7 भाग भूमिस्वामी
23	720	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.082	हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
24	1994	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.083	रामनाथ पिता पीतमसिंह जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
25	1995	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	कलियान पुत्र होतम साधो सनेही पुत्री होतम जावित्री बेवा होतम 1/2 भूमि स्वामी आशाराम लज्जाराम सियाराम बैजनाथ पिता माधौसिंह समान भाग 24/50 बा0 लाशी पुत्री माधौसिंह भाग 1/50 जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
26	1996	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	जसवंत भूरा कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्री मूंगाराम मु. बतसिया बेवा मूंगाराम 1/2 जीवाराम पुत्र मूलाराम 1/2 जाति गूठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
27	1998	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042	मु. कलावती बेवा सोनेराम 1/2 जसवंत भूरसिंह कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्री मूंगाराम मु बतसिया बेवा मूंगाराम जाति गूठा. पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी
28	2001	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	केदार जनकसिंह पि खुट्टी समान 1/2 जबरसिंह कल्यान नरेन्द्र पि. देबीसिंह रामबती मुन्नी लाली पुत्रियां देबीसिंह समान 1/2 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
29	2006	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005	बंशी पुत्र मूला जाति मेहतर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
30	2022	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	माताप्रसाद उदयबीर बीरो मल खान पि. बालमकुन्द जमुनी पुत्री बालमकुन्द समान भाग 1/12 मोहरसिंह पुत्र साहवसिंह लक्ष्मी पुत्री साहवसिंह समान भाग 1/12 दिलीप रूपसिंह जयभान उधौ पिता रामनरेश रचना मधु पुत्रियां रामनरेश समान भाग 1/12 दर भाग 1/3 रामहेत कृष्णा हरेन्द्र पिता

					रामसरूप हलुकी वेवा रामसरूप मीरा पुत्री रामसरूप समान भाग 5/18 मु. कमेश देवा देवेन्द्र पंकज नावा पुत्र देवेन्द्र जाति गुर्जर पता सर मा.खुद समान भाग 1/18 दर भाग 1/3 कमलाबाई वेवा केदारसिंह भूमि स्वामी परिमाल सूरजभान रामलखन पुत्रगण केदारसिंह सुनीता पुत्री केदारसिंह समान भाग 1/3 निवासी ग्राम नारायण पत्र कलुआ जाति ब्र. पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक
31	2023 2024	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.127	राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 समान भाग पंजाबसिंह उर्फ शिवराम पूरन रामहेत पुत्र पीतम लक्षो पुत्री पीतम समान 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान भाग 1/4 कोमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह समान भाग 1/12 दर भाग 1/3 जाति गू. ठा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी
32	2025/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	रामनाथ पिता पीतमसिंह जाति गू.ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
33	2026/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	सुन्दरसिंह पिता रामसिंह जाति गु0ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
34	2026/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.047	मोहकमसिंह पुत्र रमेशसिंह नि. मेलु ग्राउण्ड दुल्लपुर ग्वालियर जाति गुर्जर भूमि स्वामी
35	2027	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.243	जीवाराम पुत्र मूलाराम 0.559 कलावती वेवा सोनेराम रकवा 0.248 जसवंत भूरा कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मूंगाराम मु बतसिया बेबा मूंगाराम भा0 0.249 बेजो पुत्री देवी सिंह रकवा 0.062 जाति गु0ठा0 पता नि0. ग्राम भूमि स्वामी
36	2100/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.196	रामवरनसिंह पु नवलसिंह जाति गू. ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
37	2101	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.055	रामवरनसिंह पु नवलसिंह जाति गू. ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
38	2102	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.041	सोनू उर्फ उर्मिला बेबा श्री निवास दीपेन्द्र जीतेन्द्र नावा पि श्री निवास ज्योति नावा पुत्री श्री निवास सर माँ खुद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
39	2115/1 मिन-1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.537	राजाराम पुत्र कदमसिंह जाति गू0 ठा0 पता

					निवासी ग्राम भूमिस्वामी
40	2115/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		जसमंत सियाराम पिता माधौसिंह फूजो पुत्री माधौसिंह समान भाग 1/2 सिरदार चौबे सिंह रामखिलाडी पिता पन्नू रामकली रामप्रकाशी रामवेटी शीला संतो पुत्रियां पन्नू धनवंती बेवा पन्नू स0भा0 1/2 जाति गू0ठा0 पता सा0 देह भूमिस्वामी
41	2116/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.075	भारत पिता सरनाम रकवा 126/1862 राकेश अल्ली पिता सरनाम रामा पुत्री संरनाम समान भाग 1396/1862 सन्तोदेवी पत्नी राजाराम कमला पत्नी विजयसिंह समान भाग 340/1862 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
42	2116/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	प्रकाश महेन्द्र पिता हजारी गुडडी पुत्री हजारी जाति गू0ठा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
43	2116/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	वकीला पुत्र हजारी साबो बेवा हजारी सिया पुत्री हजारी समान भाग 1524/1694 सन्तो देवी पत्नी राजाराम कमला पत्नी विजय सिंह समान भाग 170/1694 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
44	2168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.119	राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/2 समान रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/2 भूमि स्वामी
45	2173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी

46	2175	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.81
47	2176	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.102	राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/2 समान रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/2 भूमि स्वामी भू राजस्व 2.00
48	2177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.121	राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान 1/4 कोमेश मिथलेश पि. कोकसिंह समान भाग 1/12 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पुत्र हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पुत्र. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पुत्रियां आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/3 जाति गुर्जर भूमि स्वामी
49	2179	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	लाखन रविन्द्र पि. कोकसिंह समान भाग 3/5 कोमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह समान भाग 1/5 कमला पुत्री भीकमसिंह भाग 1/5 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.56
50	2180	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.156	राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान 1/4 कोमेश मिथलेश पि. कोकसिंह समान भाग

					1/12 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पुत्र हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पुत्र. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पुत्रियां आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/3 जाति गुर्जर भूमि स्वामी
51	2181	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	जीवाराम पुत्र मूलाराम 0.559 कलाबती वेवा सोनेराम हि 0.248 जसवंत भूरा कृष्णा पि. मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मूंगाराम मु. बतसिया बेवा मूंगाराम स.भा. 0.062 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामि भू राजस्व 3.81
52	2183/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.056	जसवन्तसिंह पुत्र मूंगाराम जाति गू ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2. 25
53	2183/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.055	जसवन्तसिंह पुत्र मूंगाराम जाति गू ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2. 25
54	2184	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.068	पातीराम पिता शंकरसिंह 1/6 जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.62
55	2020	भूमिस्वामी	मंदीर	0.039	मठ श्री महादेवजी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महोदय जिला मुरैना
56	2182	भूमिस्वामी	मंदीर	0.114	मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महो. मुरैना भूमि स्वामी
57	2190	भूमिस्वामी	मंदीर	0.013	मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महो. मुरैना भूमि स्वामी
कुल कित्ता	57			4.012	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कार्यालय को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
तहसील-रामनगर, जिला-सतना मध्यप्रदेश

क्रमांक 456-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

रामनगर, दिनांक 18 सितम्बर 2019

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-पिपरी उत्तर, पटवारी हल्का-गंगासागर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	15/356/1	0.349	0.049
2		15/356/2	0.182	
3		15/356/3/क	0.267	
4		15/356/3/क/0001	85.000	
5		15/356/3/ख	0.267	
6		15/356/3/ग	0.267	
7		15/356/3/घ	0.267	
8		15/356/4/क	0.267	
9		15/356/4/घ	0.267	
10		15/1	0.061	0.038
11		15/2	0.226	
12		15/3	0.413	
13		15/4/क	0.351	
14		15/4/ख	0.351	
15		15/4/ग	0.350	
16		15/4/घ	0.351	
17		15/5/क	0.351	
18		15/5/ख	0.350	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	18 किता	89.937	0.087
1		11	0.295	0.003
2		5	0.606	0.002
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	2 किता	0.901	0.005
	अ + ब का योग-	कुल 20 किता	90.838	0.092

क्रमांक 457-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	4	5	6
1	ग्राम-टीकरखुर्द, पटवारी हल्का-93 बरा खुर्द, रा.नि.म. भदनपुर उ.प., तहसील-मैहर	408/1/क/1	1.045	0.026
2		408/1/क/2	1.463	
3		408/2/क	0.627	
4		408/2/ख	1.045	
5		408/2/ग	0.125	
6		408/2/घ	0.105	
7		408/3/क	0.105	
8		408/3/ख	0.105	
9		408/3/ग	0.105	
10		414/1	0.716	

11	414/2/1	0.258	0.033
12	414/2/2	0.458	
13	412/1/1	0.186	
14	412/1/2	0.186	
15	412/1/3	0.023	0.016
16	412/1/4	0.023	
17	412/2	0.146	
18	369/1	0.836	
19	369/2	1.040	0.015
20	369/3	0.486	
21	368/1	0.272	
22	368/2	0.439	0.011
23	367	0.125	0.002
24	366/1	1.254	0.005
25	366/2	0.690	
26	371	0.084	0.002
27	372	2.633	0.026
28	374	1.620	0.026
29	359	0.920	0.016
30	358	0.920	0.017
31	344/1	0.387	
32	344/2	0.387	0.020
33	344/3	0.396	
34	342	1.506	0.017
35	340	0.512	0.018
36	339/1	1.672	
37	339/2/क	1.149	0.023
38	339/2/ख	0.565	
39	331	1.515	0.002
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	39 किता	26.129
1		428	0.961
2		373	0.366
3		332	1.087
4		333	0.293
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	2.707
		कुल 43 किता	28.836
			0.319

क्रमांक 458-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-वम्हनाड़ी, पटवारी हल्का-बम्हनाड़ी, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर	480/1	2.833	0.124
2		480/2/क	1.416	
3		480/2/क/2	1.416	
4		480/2/क/500	1.000	
5		480/2/ख	1.417	
6		480/3/क	4.130	
7		480/3/ख	4.130	
8		480/3/ग/1	1.376	
9		480/3/ग/2	1.375	
10		480/3/ग/3	1.375	
11	484/1	0.649	0.044	
12		484/2		0.650
13		484/3		0.650
14		484/4		0.649
15	489	0.947	0.026	
16	490/1	2.233	0.074	
17		490/2		2.265
18		490/3		2.893
19		490/4/क		2.027
20		490/4/ख		0.809
21	490/4/ग	0.809		
22	469/1	3.678	0.047	
23		469/2		0.405
24		469/3/क		1.214
25		469/3/ख		1.023

26	469/4	4.476	
27	470/737/1	0.672	0.038
28	470/737/2	1.133	
29	467/1	0.263	
30	467/2	2.291	0.039
31	467/3	1.473	
32	467/4	0.700	
33	460/1	0.680	
34	460/3	0.064	0.032
35	460/4	0.064	
36	460/5/1	0.328	
37	460/6	0.202	
38	459	0.437	
39	459/1	0.107	0.022
40	459/2/क	0.165	
41	459/2/ख	0.161	
42	459/6/ख	0.161	
43	456/1	0.024	
44	456/3	0.176	0.005
45	456/4	0.174	
46	456/5	0.058	
47	456/6	0.404	
48	457	0.069	0.003
49	457/1	0.036	
50	458/1	0.048	
51	458/3	0.016	0.004
52	458/5/1	0.012	
53	458/5/2	0.030	
54	458/5/3	0.014	
55	458/6/क	0.036	
56	458/6/ख	0.004	
57	449/1	0.790	0.060
58	449/2	0.790	
59	449/3	0.786	
60	449/4	0.790	
61	449/5	0.786	
62	449/6	1.214	
63	505/1/1/क	0.494	0.048
64	505/1/2/क	0.870	
65	505/1/3/क/1	0.597	
66	505/1/3/क/2	0.597	
67	505/1/3/क/3	0.320	
68	505/1/5/क	1.497	
69	505/1/6/क	1.800	
70	505/1/7/क/1	1.024	

71	505/1/7/क/2	0.923	
72	505/1/7/क/3	0.923	
73	505/1/7/ख	0.129	
74	505/1/क/1	0.494	
75	505/1/क/3	1.497	
76	505/1/क/4	1.497	
77	505/1/क/5	1.497	
78	505/1/क/6	1.800	
79	505/1/क/7	2.870	
80	505/1/ख/1	0.020	
81	505/1/ख/3	0.073	
82	505/1/ख/4	0.073	
83	505/1/ख/5	0.073	
84	505/1/ख/6	0.081	
85	505/1/ख/7	0.129	
86	505/2	0.121	
87	67/1	0.065	
88	67/2	0.040	
89	67/3	0.061	0.004
90	67/4	0.040	
91	67/5	0.040	
92	69/1	0.846	
93	69/1/क	0.530	
94	69/1/ख	0.316	0.016
95	69/2	0.304	
96	69/3	0.304	
97	69/4	0.308	
98	445/1	0.312	
99	445/2	0.169	
100	445/3	0.169	0.010
101	445/4	0.169	
102	70/1	0.089	
103	70/2	0.093	0.003
104	70/3	0.089	
105	71/1/क	1.335	
106	71/1/ख	0.065	
107	71/2	0.166	0.003
108	71/3	0.166	
109	71/4	0.166	
110	72/1	0.498	
111	72/2	0.139	
112	72/3	0.133	0.034
113	72/4	0.133	
114	76/1/1	0.417	
115	76/1/2	0.262	0.028

116	76/2	0.069	
117	79	0.344	0.014
118	78/1/1/क/1	0.341	0.006
119	78/1/1/क/2	0.101	
120	78/1/2/क/1	0.437	
121	78/1/2/क/2	0.231	
122	78/1/2/क/3	0.105	
123	78/1/ख	0.148	
124	78/2	0.024	
125	123/1/1	0.040	0.018
126	123/1/2	0.264	
127	123/2	0.081	
128	125/1	0.020	0.005
129	125/2	0.020	
130	124/1	0.226	0.002
131	124/2/क	0.121	
132	124/2/ख	0.105	
133	126/1	0.263	0.024
134	126/2	0.160	
135	126/3	0.425	
136	128/1/क	0.040	0.007
137	128/1/ख	0.036	
138	128/1/ग	0.036	
139	128/1/घ	0.036	
140	128/2	0.040	
141	129/1/क	0.012	0.003
142	129/1/ख	0.045	
143	129/1/ग	0.045	
144	129/1/घ मेड	0.049	
145	129/2	0.045	
146	131/1	0.388	0.018
147	131/2	0.141	
148	131/3	0.141	
149	147/1	0.049	0.004
150	147/2	0.121	
151	132/1 मेड	0.069	0.002
152	132/2 मेड	0.028	
153	132/3	0.028	
154	145/1/क	0.097	0.027
155	145/1/ख	0.490	
156	145/1/ग	0.490	
157	145/1/घ	0.490	
158	145/2	0.390	
159	145/2/ख	0.376	
160	145/3	0.490	

161	144/1/क	0.028	0.003	
162	144/1/ख	0.028		
163	144/1/ग	0.028		
164	144/2	0.024		
165	144/3	0.024		
166	180	0.866	0.030	
167	179/1	0.291	0.008	
168	179/2	0.202		
169	179/3	0.089		
170	181	0.223	0.004	
171	183/1/क	0.352	0.024	
172	183/1/ख	0.121		
173	183/2	0.353		
174	184	0.032	0.001	
175	187/1	0.008	0.004	
176	187/2	0.008		
177	187/3	0.008		
178	187/4	0.077		
179	188/1	0.028	0.021	
180	188/2	0.547		
181	188/2/क	0.061		
182	188/2/ख	0.117		
183	207/1	0.028	0.004	
184	207/2	0.113		
185	207/3	0.032		
186	207/4	0.053		
187	207/5	0.045		
188	208/1/क	0.056	0.057	
189	208/1/ख	0.104		
190	208/2	0.474		
191	208/3	0.185		
192	208/4	0.181		
193	208/5	0.181		
194	208/6	0.506		
195	210/1	0.040	0.003	
196	210/2	0.040		
197	210/3	0.040		
198	210/4	0.036		
199	211/1	0.113	0.021	
200	211/2	0.113		
201	211/3	0.089		
202	211/4	0.073		
203	211/5	0.073		
204	211/6	0.121		
205	211/7	0.121		
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	205 किता	101.855	0.974
1.		481	0.134	0.005
2.		447	0.073	0.003
3		38	1.825	0.003
4		209	0.279	0.018
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	2.311	0.029
	(अ) + (ब) का योग-	कुल 209 किता	104.166	1.003

क्रमांक 459-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-गोदहा, पटवारी हल्का-वाबूपुर, रा.नि.मं.-बड़वार, तहसील-रामनगर	84/1	0.263	0.029
2		84/2/क	0.280	
3		84/2/ख	0.286	
4		83/1/क	0.808	0.032
5		83/1/ख	0.306	
6		83/2	0.371	0.021
7		86/1/क	0.404	
8		86/1/ख	0.143	
9		86/2	0.182	0.023
10		87	1.060	
11		91/1	0.190	0.015
12		91/2	0.194	
13		90/1/क	0.234	0.013
14		90/1/ख	0.460	
15		90/1/ख/2	0.230	
16		90/2/क	0.124	
17		90/2/ख	0.124	0.046
18		94/1/क/1	0.384	
19		94/1/क/2	0.647	
20		94/1/ख	0.515	0.008
21		99/1/क	0.152	
22		99/1/ख	0.809	
23		99/2	0.480	0.006
24		95/1	0.392	
25		95/2	0.401	0.030
26		67	0.963	0.025
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	26 किता	10.402	0.248
1		96	0.235	0.004
2		94/2	0.077	0.007
3		33	0.458	0.003
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	3 किता	0.770	0.014
	अ + ब का योग-	कुल 29 किता	11.172	0.262

क्रमांक 460 भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

सं.क्र.	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-पिपरी कोठार, पटवारी हल्का-गंगासागर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	8/1/क	0.081	0.068
2		8/1/ख	1.004	
3		8/1/ग	0.554	
4		8/2/1	0.546	
5		8/2/2	0.546	
6		8/2/3	0.546	
7		8/3/1	0.546	
8		8/3/2	0.546	
9		8/3/3	0.547	
10	7/1/क	7/1/क	0.418	0.027
11		7/1/ख	0.418	
12		7/1/ग	0.419	
13		7/2/क	0.478	
14		7/2/ख	0.433	
15		7/3/1	0.068	
16		7/3/2	0.067	
17		7/3/3	0.067	
18		6/1/क	0.133	
19	6/1/ख	0.065		
20	6/1/ग	0.069		
21	6/2/क	0.089		
22	6/2/ख	0.089		
23	6/2/ग	0.093		
24	6/3/1	0.133		
25	6/3/2	0.134		
26	6/4	0.267		

27	5/1/1	11.306	
28	5/1/2	1.011	
29	5/1/3	1.011	
30	5/1/4	4.049	
31	5/2/क/1	0.265	
32	5/2/क/2	0.132	
33	5/2/क/3	0.133	
34	5/2/ख	0.534	
35	5/2/ग	0.530	
36	5/2/घ/1	0.265	
37	5/2/घ/2	0.265	0.023
38	5/3	0.809	
39	5/4/1/क	0.243	
40	5/4/1/ख	0.162	
41	5/4/2/क	0.244	
42	5/4/क/2	0.080	
43	5/5/क	0.671	
44	5/5/ख	0.679	
45	5/5/ग	0.676	
46	5/6	0.809	
47	5/6/क	0.486	
48	5/6/ख	0.323	
49	5/111/1	0.143	
50	5/111/2	0.143	0.001
51	5/111/3	0.143	
52	5/109	1.303	0.020
53	4/1/क	1.821	
54	4/1/ख	0.910	
55	4/1/ग	0.911	
56	4/2/1	1.086	
57	4/2/1/क	0.680	
58	4/2/1/ख	0.406	
59	4/2/2	0.227	
60	4/2/2/1	0.018	
61	4/2/2/2	0.019	
62	4/2/2/3	0.019	
63	4/2/2/4	0.057	
64	4/2/2/5	0.057	
65	4/2/2/6	0.057	0.065
66	4/2/3/1	0.004	
67	4/2/3/2	0.015	
68	4/2/4	0.085	
69	4/2/5	0.085	
70	4/2/6	0.101	
71	4/2/7	0.202	
72	4/2/8/क	0.101	
73	4/2/8/ख	0.101	
74	4/2/8/95401	0.202	
75	4/3/1	0.873	
76	4/3/2	0.874	
77	4/4/क/1/0001/0001	0.122	
78	4/4/क/1/0001/0002	0.162	

79	4/4/क/1/0002	0.445		
80	4/4/क/2	0.080		
81	4/4/ख	0.405		
82	4/4/ग	0.405		
83	4/5/1	0.101		
84	4/5/2	0.101		
85	4/5/3	0.101		
86	4/5/4	0.202		
87	4/5/5	0.101		
88	4/6/1	0.101		
89	4/6/2	0.202		
90	4/6/3	0.101		
91	4/6/4	0.101		
92	4/6/5	0.101		
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	92 किता	46.513	0.224
1		1	0.664	0.003
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.664	0.003
		कुल 93 किता	47.177	0.227

क्रमांक 461-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

सं.क्र.	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-मोहरवा, पटवारी हल्का-करा, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	1/1/क	5.261	0.079
2		1/1/ख	0.749	
3		1/2/क	0.675	
4		1/2/ख	0.081	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	4 किता	6.766	0.079
1		141/1	0.650	0.001
2		141/2	0.060	
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	2 किता	0.710	0.001
	अ + ब का योग-	कुल 6 किता	7.476	0.080

क्रमांक 462-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-गोविंदपुर, पटवारी हल्का-35 गोविन्दपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	110/1	0.643	0.002
2		110/2	0.202	
3		25/1/क	3.742	0.009
4		25/1/ख	2.004	
5		25/2/क/1	0.032	
6		25/2/क/2	0.089	
7		25/2/ख	0.121	
8		25/2/ग/1/1	0.055	
9		25/2/ग/1/2	0.052	
10		25/2/ग/2	0.014	
11		25/2/घ/1	0.041	
12		25/2/घ/2	0.040	
13		25/2/घ/3	0.040	
14		25/2/ड/1	0.098	
15		25/2/ड/2	0.023	
16		25/3/क/1/1/1	0.058	
17		25/3/क/1/1/1/2	0.274	
18		25/3/क/1/1/2	0.060	
19		25/3/क/1/1/3	0.568	

20		25/3/क/1/1/4	0.040	
21		25/3/क/1/2	0.101	
22		25/3/क/2	0.202	
23		25/3/ख	0.202	
24		25/4/1	0.202	
25		25/4/2	0.202	
26		25/4/3	0.202	
27		25/4/4	0.202	
28		44/1	0.081	
29		44/2/क	0.061	0.097
30		44/2/ख	0.060	
31		6/1/क	0.223	
32		6/1/ख	0.222	
33		6/2/क/1	0.040	
34		6/2/क/2	0.041	0.001
35		6/2/ख/1/1	0.042	
36		6/2/ख/1/2	0.043	
37		6/2/ग	0.080	
38		6/2/घ	0.080	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	38 किता	10.482	0.109
1		3/1	0.616	0.004
2		3/2	0.012	
3		1/1	0.016	0.003
4		1/2	0.048	
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	0.692	0.007
	अ + ब का योग-	कुल 42 किता	11.174	0.116

क्रमांक 463-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-गौहानी, पटवारी हल्का-35 गोविन्दपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	30/1/क/1	0.288	0.036
2		30/1/क/2/1	0.072	
3		30/1/क/2/2	0.072	
4		30/1/क/2/3	0.072	
5		30/1/क/2/4	0.072	
6		30/1/क/3	0.287	
7		30/1/क/4	0.287	
8		30/1/ख	0.149	
9		30/2	0.081	
10		29/1	0.385	
11		29/2	0.303	
12		26	1.275	0.030
13		23/1/क/1	0.405	0.007
14		23/1/क/2	0.070	
15		23/1/ख/1	0.349	
16		23/1/ख/2	0.121	
17		23/1/ग/1	0.190	
18		23/1/ग/2	0.284	
19		23/2/क	0.295	
20		23/2/ख	0.008	

21		22/1/क/1/क	0.101	0.048	
22		22/1/क/1/ख	0.162		
23		22/1/क/2	0.506		
24		22/1/ख/1/1	0.202		
25		22/1/ख/1/2	0.202		
26		22/1/ख/1/3	0.203		
27		22/1/ख/2	0.162		
28		22/1/ग/1	0.267		
29		22/1/ग/2	0.506		
30		22/2/क	0.278		
31		22/2/ख	0.277		
32		22/3	0.202		
33		22/4/क	0.780		
34		22/4/ख	0.287		
35		16	0.178		0.005
36		15	2.012		0.004
37		18/1	0.174		0.025
38		18/2	0.174		
39		18/3	0.178		
40		20	1.061		0.025
41		19/1	0.607		0.003
42		19/2/क	0.405		
43		19/2/ख	0.202		0.038
44		84/1/क	0.417		
45		84/1/ख	0.417		
46		84/2	0.416		
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	46 किता	15.441		0.234
1		38/1	0.040		0.002
2		38/2	0.121		
3		33/1	0.105		0.010
4		33/2	0.680		
5		32	0.619		0.016
6		21	0.271		0.002
7		85	0.040		0.001
8		225	0.611	0.006	
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	8 किता	2.487	0.037	
	अ + ब का योग-	कुल 54 किता	17.928	0.271	

क्रमांक 464-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-मझगैवा, पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	82/1	0.259	0.007
2		82/2/क	0.101	
3		82/2/ख	0.101	
4		64/1	2.412	0.006
5		64/2/क	0.505	
6		64/2/ख	0.506	
7		64/3/क	1.157	
8		64/3/ख	0.462	
9		64/4	0.024	
10		64/5	2.023	
11		64/6	0.405	0.010
12		65/1	0.202	
13		65/2	0.198	
14		65/3/क	0.081	
15		65/3/ख	0.117	
16		65/4	0.202	0.018
17		65/5	0.198	
18		81/1	0.129	
19		81/2/क	0.133	
20		81/2/ख	0.139	
21		81/2/ग	0.133	

2		81/3/क	0.004	
23		81/3/क/1	0.222	
24		81/3/क/1/ख	0.056	
25		81/3/क/2	0.218	
26		81/3/क/3/1/ख	0.056	
27		81/3/क/3/2	0.113	
28		81/3/ख	0.348	
29		81/3/घ	0.348	
30		78/1	0.182	
31		78/2/1	0.091	0.022
32		78/2/2	0.091	
33		77/1	0.081	
34		77/2	0.085	
35		77/3	0.081	0.001
36		77/4	0.081	
37		77/5	0.081	
38		74/1	0.180	
39		74/2/1	0.091	0.012
40		74/2/2	0.091	
41		73/1	0.182	
42		73/2/1	0.091	0.008
43		73/2/2	0.091	
44		72/1	0.069	
45		72/2	0.069	
46		72/3	0.068	0.008
47		72/4	0.069	
48		72/5	0.069	
49		33/1	0.672	
50		33/2	0.672	
51		33/3/क	0.112	
52		33/3/ख	0.112	
53		33/3/ग	0.112	0.038
54		33/3/घ	0.112	
55		33/3/ङ	0.112	
56		33/3/च	0.112	
57		33/4	0.672	
58		14/1/2	0.338	
59		14/2/ख	0.316	0.011
60		14/2/ग	0.316	
61		14/3	0.688	
62		13/1/2	0.203	
63		13/2/ख	0.135	0.031
64		13/2/ग	0.152	
65		13/3	0.405	
66		12	0.388	0.011
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	66 किता	18.984	0.183
		79	0.097	0.004
		32	0.223	0.003
1	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	2 किता	0.320	0.007
	अ + ब का योग-	कुल 68 किता	19.304	0.190

क्रमांक 465-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-नारायणपुर, पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	22	0.045	0.003
2		23/1/क	0.200	0.019
3		23/1/ख	0.024	
4		23/2/क	0.081	
5		23/2/ख	0.081	
6		23/2/ग	0.142	
7		23/3	1.214	
8		30/1	0.979	0.012
9		30/2	0.121	0.011
10		33	0.849	
11		32/1/क	0.056	0.008
12		32/1/ख	0.849	
13		32/2	0.045	
14		38/1	0.349	0.025
15		38/2	0.468	
16		40/1	0.559	0.011
17		40/2	0.049	
18		41/1/क	0.631	0.037
19		41/1/ख	0.214	
20		41/2	0.635	
21		41/3	0.036	
22		46/321/1	0.906	0.001

23		46/321/2	0.910	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	23 किता	9.443	0.127
1		46/323/1	0.146	0.010
2		46/323/2	0.154	
3		47	1.108	
4		48	0.761	
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	2.169	0.031
	अ + ब का योग-	कुल 27 किता	11.612	0.158

क्रमांक 466-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-अराजी हटवा, पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	68/1	0.174	0.014
2		68/2	0.174	
3		69/1	0.445	
4		69/2	0.113	
5		69/3	0.077	
6		69/4	0.073	
7		69/5	0.073	
8		70	0.409	
9		72	0.652	
10		74	0.567	
11		73/1	0.368	
12		73/2	0.006	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	12 किता	3.131	0.075
1		79	0.405	0.003
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.405	0.003
	अ + ब का योग-	कुल 13 किता	3.536	0.078

क्रमांक 467-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-शहपुरा, पटवारी हल्का पदमी, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर	31/1	0.073	0.002
2		31/2	0.073	
3		7/1	0.447	0.017
4		7/2	0.447	
5		8	0.077	0.003
6		9	0.826	0.017
7		10	0.105	0.003
8		18	0.784	0.016
9		17/1	0.032	0.001
10		17/2	0.033	
11		52	0.340	0.007
12		15/1	0.158	0.017
13		15/2	0.405	
14		53	0.129	0.002
15		54	0.555	0.013
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	15 किता	4.484	0.098
1		33	0.336	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.336	0.004
	अ + ब का योग-	कुल 16 किता	4.820	0.102

क्रमांक 468-भूजन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-सगौनी कलाँ, पटवारी हल्का-39 सगौनी खुर्द, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर	147/1	0.331	0.001
2		147/2	0.235	
3		147/2/1	0.118	
4		147/2/2	0.117	
5		147/3	0.235	
6		148/1	0.236	0.015
7		148/2	0.233	
8		148/2/1	0.116	
9		148/2/2	0.117	
10		151	0.283	0.008
11		153	0.235	0.009
12		158	0.567	0.007
13		159/1	0.579	0.016

14		159/2	0.162	0.010
15		166	0.348	0.004
16		171/1	0.644	0.015
17		171/2	0.660	
18		172	0.547	0.007
19		173	0.955	0.012
20		176	0.696	0.018
21		178	1.158	0.021
22		197/1	0.749	0.006
23		197/2	0.834	
24		197/2/क	0.181	
25		197/2/ख	0.000	
26		1	0.088	0.022
27		185/1/क	0.341	0.003
28		185/1/ख/1	0.309	
29		185/1/ख/2	0.309	
30		185/1/ग	0.263	
31		185/1/घ	0.263	
32		185/2	0.202	
33		186/1	0.038	0.002
34		186/2	0.039	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	34 किता	12.188	0.166
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	0 किता	0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 34 किता	12.188	0.166

क्रमांक 469-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-सगौनी खुर्द, पटवारी हल्का 39 सगौनी खुर्द, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर	212	0.049	0.002
2		211/1	0.101	0.001
3		211/2/क	0.053	
4		211/2/ख	0.048	
5		216/1	0.045	0.003
6		216/2	0.045	
7		229/1	0.161	0.010
8		229/2	0.053	
9		230	0.255	0.009
10		231/1	0.210	0.010
11		231/2	0.426	
12		232	0.045	0.001
13		233	0.045	0.002
14		224	0.036	0.004
15		225	0.376	0.001
16		223	0.040	0.008
1	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	16 कित्ता 234	1.988 0.081	0.051
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 कित्ता	0.081	0.003
	अ + ब का योग-	कुल 17 कित्ता	2.069	0.054

क्रमांक 470-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-हिनीता, पटवारी हल्का-जिगना, रा.नि.म. झिन्ना, तहसील-रामनगर	497	0.789	0.011
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	1 किता	0.789	0.011
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	0 किता	0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 1 किता	0.789	0.011

क्रमांक 471-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	अमिलिया, पटवारी हल्का 37 पदमी, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर	153	0.053	0.003
2		154/1	0.823	0.010
3		154/2	0.568	
4		108	0.109	0.002
5		107	0.198	0.005
6		106	0.926	0.028
7		105	0.061	0.002
8		103/1	0.579	0.018
9		103/2/क	0.243	
10		103/2/ख	0.113	
11		36	0.421	0.006
12		37	0.328	0.009
13		52	0.396	0.004
14		51	0.481	0.009
15		50	0.481	0.010
16		49	0.243	0.007
17		47	0.081	0.001
18		48	0.444	0.017
19		43	0.158	0.003
20		60	1.081	0.002
21		61	1.033	0.021
22		64/1	0.582	0.016
23		64/2	0.578	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	23 किता	9.980	0.173

1		160	0.089	0.004
2		152	0.146	0.007
3		151	0.057	0.001
4		109	0.206	0.002
5		101	0.081	0.002
6		53/287	0.101	0.004
7		38	0.229	0.005
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	7 किता	0.909	0.025
	अ + ब का योग-	कुल 30 किता	10.889	0.198

क्रमांक 472-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-छिरहाई, पटवारी हल्का-41 छिरहाई, रा.नि.म.-झिन्ना, तहसील-रामनगर	943	0.283	0.006
2		947	0.571	0.006
3		952	0.332	0.006
4		951	0.352	0.007
5		950	0.336	0.007
6		884	0.510	0.008
7		966	0.397	0.011
8		850/1/क	0.148	0.005
9		850/1/ख	0.596	
10		850/1/ग	0.012	

11		850/2	0.809	
12		849	0.629	0.007
13		848	0.158	0.005
14		845	0.291	0.006
15		847/1	0.767	
16		847/2	0.656	0.022
17		847/3	0.069	
18		833/1	0.766	
19		833/2	0.152	0.016
20		833/3	0.101	
21		833/4	0.101	
22		806/1	0.931	
23		806/2	0.466	0.002
24		806/3	0.466	
25		816	0.186	0.007
26		813	0.368	0.008
27		812/1	0.117	0.006
28		812/2	0.114	
29		796/1	0.174	
30		796/2	0.239	0.007
31		796/3	0.206	
32		789/1	0.183	
33		789/2	0.182	0.015
34		789/3	0.178	
35		611/1	0.166	
36		611/2	0.166	0.012
37		611/3	0.166	
38		611/4	0.166	
39		616	0.478	0.009
40		617/1	0.251	0.001
41		617/2	0.251	
42		615/1	0.227	
43		615/2	0.101	
44		615/3/क	0.304	0.031
45		615/3/ख	0.538	
46		615/3/ग	0.506	
47		634/1	0.652	0.032
48		634/2	0.303	
49		647/1	0.097	
50		647/2	0.049	0.002
51		647/3	0.052	
52		657	0.769	0.017
53		656	0.291	0.008
54		655	0.138	0.001
55		664	2.007	0.029
56		668	6.325	0.046
57		690	0.206	0.004
58		692	1.611	0.020
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	58 किता	27.666	0.369
1		944/1	0.568	0.020
2		944/2	0.568	
3		815	0.348	0.006
4		814	0.534	0.006
5		797	0.198	0.003
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	5 किता	2.216	0.035
	अ + ब का योग-	कुल 63 किता	29.882	0.404

क्रमांक 473-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-अरगट, पटवारी हल्का-43 अरगट, रा.नि.म.-झिन्ना, तहसील-रामनगर	330	0.510	0.009
2		329	1.365	0.004
3		331	0.522	0.009
4		332	0.105	0.002
5		332/2	0.008	
6		630/1	0.478	0.008
7		630/2	0.121	
8		625	0.405	0.003
9		624 शा.नं. 630 में	0.872	0.005
10		623	2.112	0.022
11		683	0.328	0.008
12		684	0.615	0.014
13		685	0.097	0.001
14		704	0.097	0.002
15		703	0.316	0.003
16		705/1	0.061	0.006
17		705/2	0.060	
18		706/1	0.026	0.001
19		706/2	0.027	
20		707/1	0.040	0.002
21		707/2	0.032	

22		726	1.125	0.013
23		727	0.214	0.004
24		729	0.073	0.003
25		730/1	0.028	0.005
26		730/2	0.162	
27		557/1	0.032	0.003
28		557/2	0.081	
29		557/3	0.099	
30		557/4	0.121	0.002
31		558/1	0.012	
32		558/2	0.049	
33		558/3	0.012	0.005
34		539/1/1	0.105	
35		539/1/2	0.104	
36		539/1/3	0.105	
37		539/2/1	0.104	
38		539/2/2	0.105	
39		539/2/3	0.105	
40		539/3/1	0.002	
41		539/3/2	0.003	0.006
42		539/3/3	0.003	
43		537/1/1	0.080	
44		537/1/2	0.080	
45		537/1/3	0.080	
46		537/2/1	0.082	
47		537/2/2	0.082	0.005
48		537/2/3	0.082	
49		536/1	0.120	
50		536/2	0.120	0.008
51		536/3	0.120	
52		534/1/क	0.134	0.003
53		534/1/ख	0.129	
54		534/2	0.129	
55		541/1/क	0.193	0.006
56		541/1/ख	0.199	
57		541/2/1	0.189	
58		541/2/2	0.202	0.003
59		533	0.263	
60		532	0.162	0.003
61		530	0.174	0.003
62		529	0.219	0.004
63		520/1 शा.नं. 519 में	0.587	0.017
64		520/2 शा.नं. 519 में		
65		519/1	0.643	0.001
66		519/2	0.644	
67		523/1/1	0.072	0.002
68		523/1/2	0.069	

69		523/2/1	0.023	
70		523/2/2	0.022	
71		523/3/1	0.024	
72		523/3/2	0.020	
73		523/3/3	0.020	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	73 किता	15.804	0.192
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	0 किता	0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 73 किता	15.804	0.192

क्रमांक 474-भूजन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

सं.क्र.	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	मतहा, पटवारी हल्का जुड़मानी, रा.नि.म. झिन्ना, तहसील-रामनगर	112/1/क/1	0.061	0.005
2		112/1/क/2	0.060	
3		112/1/ख	0.063	
4		112/1/ग/1	0.064	
5		112/1/ग/2	0.073	
6		112/2	0.065	
7		111	0.263	0.007
8		110/1/क	0.284	0.007
9		110/1/ख	0.292	

10		110/2	0.310	
11		10/1	0.214	0.009
12		10/2	0.215	
13		12/1	0.028	
14		12/2	0.028	0.001
15		16	0.227	0.006
16		14	0.045	0.001
17		15	0.045	0.001
18		26	0.352	0.001
19		25	0.279	0.011
20		24	0.085	0.002
21		52/1	0.445	0.005
22		52/2	0.028	
23		53/1	0.526	0.009
24		53/2	0.081	
25		53/3	0.098	0.002
26		54/1/क	0.057	
27		54/1/ख	0.016	
28		54/1/ग	0.061	
29		54/1/घ	0.040	
30		54/1/ङ	0.032	
31		54/1/च	0.012	
32		54/1/छ	0.12	
33		54/2	0.255	
34		54/2/घ	0.012	
35		54/2/ज	0.012	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	35 किता	4.848	
1		70	2.112	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	2.112	0.004
	अ + ब का योग-	कुल 36 किता	6.960	0.071

क्रमांक 475-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख**(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)**

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-हिनाता खुर्द, पटवारी हल्का-94 जोवा, रा.नि.म.-भदनपुर उ.प, तहसील-मैहर	339/326/1/1	0.480	0.035
2		339/326/1/2	0.659	
3		339/326/2/क	0.293	
4		339/326/2/ख	0.836	
5		328/1	0.300	0.008
6		328/2	0.661	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	6 किता	2.929	0.043
1		338	1.369	0.006
2		318/1	0.752	0.024
3		318/2	0.753	
4		327/1	0.180	0.003
5		327/2	0.301	
6		331/1	0.397	0.010
7		331/2	0.209	
8		332	1.338	0.022
9		333	1.400	0.026
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	9 किता	6.699	0.091
	अ + ब का योग-	कुल 15 किता	9.628	0.134

क्रमांक 476-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-बराखुर्द, पटवारी हल्का-93 बराखुर्द, रा.नि.म.-मदनपुर उ.प, तहसील-मैहर	686	1.223	0.014
2		286	0.700	0.009
3		685/1	0.596	0.009
4		685/2/क	0.115	
5		685/2/ख	0.125	
6		292	0.805	0.001
7		683	0.355	0.014
8		681	2.080	0.018
9		676/1	1.824	0.014
10		676/2	1.510	
11		676/3	0.030	
12		679/1	0.068	0.003
13		679/2	0.068	
14		678/1	1.792	0.027
15		678/2/1	1.000	
16		678/2/2	0.793	
17		668/1	0.063	0.001
18		668/2	0.073	
19		669/1	0.784	0.020
20		669/2	0.794	

324

21		666/1	0.497	0.035
22		666/1/ख	0.470	
23		666/1/ग	0.470	
24		666/2	1.437	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	24 किता	13.422	0.165
1		660	0.157	0.005
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.157	0.005
	अ + ब का योग-	कुल 25 किता	13.579	0.170

क्रमांक 477-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-बरकुला, पटवारी हल्का-94 जोवा, रा.नि.म.-भदनपुर उ.प. तहसील-मैहर	490	2.518	0.035
2		489	0.763	0.015
3		487	0.428	0.002
4		488/1	0.285	0.004
5		488/2	0.286	
6		488/3	0.286	
7		484/1	0.491	0.004

8		484/2	0.491	0.024
9		483/1	0.933	0.010
10		483/2	0.405	
11		446/1/क	0.688	0.009
12		446/1/ख	0.221	
13		446/2	0.920	
14		477	0.073	0.005
15		478	0.303	0.004
16		476/1	0.466	0.020
17		476/2	0.467	
18		476/3	0.467	
19		475	0.481	0.008
20		474	0.502	0.010
21		472	0.293	0.015
22		467/1/1	0.645	0.054
23		467/1/2	0.160	
24		467/2	0.804	
25		467/3	0.805	
26		465	0.125	0.005
27		462/1/क	0.433	0.018
28		462/1/ख	0.434	
29		462/2/1	0.434	
30		462/2/2	0.434	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	30 किता	16.041	0.238
1		492	0.523	0.006
2		368	1.651	0.006
3		469	1.097	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	3 किता	3.271	0.016
	अ + ब का योग-	कुल 33 किता	19.312	0.254

क्रमांक 478-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मैहर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	
1	रिवारा, पटवारी हल्का 97 रिवारा, रा.नि.म. भदनपुर उ.प. तहसील-मैहर	891/1	0.408	0.010	
2		891/2	0.136		
3		891/3	0.136		
4		894/1/क	1.348		
5		894/1/ख	1.348		
6		894/2	0.408		
7		898/1	0.073		0.004
8		899/1	0.183		0.001
9		899/2	0.183		
10		897	0.178		0.010
11		896/1	0.675		0.005
12		896/2	0.261		
13		904/1	0.219		0.007
14		904/2	0.272		
15		909/1/क	0.272		0.015
16		909/1/ख	0.272		
17		909/2	0.533		
18		917	0.314		0.004
19		916	0.532		0.008
20		918/1/क	0.418		0.009
21		918/1/ख	0.178		
22		918/2	0.209		
23		918/3	0.554		0.010
24	918/4	0.157			
25	919/1	0.167			
26	919/2	0.637			
27	920	0.836	0.010		
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	27 किता	10.907	0.111	
1		926	0.115	0.006	
	(ब) न. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.115	0.006	
	अ + ब का योग-	कुल 28 किता	11.022	0.117	

क्रमांक 479-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मैहर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ग्राम-गोरईया, पटवारी हल्का-100 गोरईया, रा.नि.म.-भदनपुर उ.प., तहसील-मैहर	320/1	0.486	0.008
2		320/2/क/1	0.882	
3		320/2/क/2	0.081	
4		320/2/ख/1	0.884	
5		320/2/ख/2	0.080	
6		317/1	1.209	0.027
7		317/2	0.000	
8		316/1 316/2,317/2	0.170	0.002
9		318/1	0.729	0.006
10		318/2/1/1	0.203	
11		318/2/1/2	0.202	
12		318/2/2	0.405	
13		318/3/1	0.748	
14		318/3/2	0.061	
15		318/4/1	0.684	
16		318/4/2	0.125	
17		318/5/1	0.150	
18		318/5/2	0.170	
19		318/6	0.849	
20		314	0.914	0.010
21		350/1/क/1/क/1	0.364	0.041
22		350/1/क/1/क/2	0.810	

23	350/1/क/1/क/3	0.627	
24	350/1/क/1/ख	0.627	
25	350/1/क/1/ग	0.021	
26	350/1/क/2/2	0.384	
27	350/1/क/3	0.745	
28	350/1/ख	1.214	
29	350/2	1.214	
30	344/1	0.598	0.001
31	344/2	0.009	
32	355	1.424	0.020
33	362	0.737	0.003
34	361	0.587	0.006
35	365/1	0.592	
36	365/2	0.595	0.023
37	365/3	0.595	
38	364/1	0.688	
39	364/2	0.688	0.001
40	274/1	1.194	
41	274/2	1.193	0.050
42	406/1	0.737	
43	406/2	0.736	0.008
44	273		0.012
45	272/1 273/1	0.992	
46	272/2 273/2	0.991	
47	272/3/1 273/3	0.465	0.020
48	272/3/2 273/3	0.525	
49	418	0.364	0.008
50	443/1	0.211	
51	443/2	0.405	0.006
52	442/1	0.409	
53	442/2	0.449	0.009
54	440/1/क	0.510	
55	440/1/ख	0.510	
56	440/1/ग	0.510	0.024
57	440/1/घ	0.510	
58	440/2	0.000	
59	434/1	1.010	
60	434/2	1.010	0.026
61	434/3	1.011	
62	438/1	0.372	
63	438/2	0.372	0.001
64	438/3	0.372	
65	438/4	0.368	
66	435/1	0.500	
67	435/2	0.500	0.001
68	435/3	0.659	
69	437/1	0.359	
70	437/2	0.359	0.013

71		437/3	0.359	
72		437/4	0.359	
73		648/1	0.169	
74		648/2	0.174	0.008
75		648/3	0.174	
76		648/4	0.174	
77		650, 651/1	0.178	0.030
78		650/2 651/2	2.023	
79		Z12	1.668	0.010
80		Z13	3.075	0.023
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	80 किता	47.507	0.397
1		325 327/1	1.477	0.004
2		327/1	0.000	
3		327/2/क	0.000	0.003
4		327/2/ख	0.000	
5		298/1	0.000	0.026
6		298/2	0.000	
7		417	0.000	0.002
8		756 770,772	4.561	0.013
9		654	10.603	0.026
	(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-	9 किता	16.641	0.074
	अ + ब का योग-	कुल 89 किता	64.148	0.471

जे. एल. तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्र. D-6163-दो-2-28-2017.—श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 24 से 31 अगस्त 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अगस्त 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो उप नियंत्रक (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. A-3007-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 03 से 05 अक्टूबर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3011-दो-2-62-2016.—श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 26 अगस्त से 07 सितम्बर 2019 तक तेरह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3013-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 30 से 31 अगस्त 2019 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01 से 03 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3015-दो-2-26-2010.—श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4323-दो-2-50-2017.—श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6222-दो-2-17-2015.—श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. पाटिल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6224-दो-3-16-2007.—श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 12 से 27 सितम्बर 2019 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6226-दो-2-15-2017.—श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 03 से 13 सितम्बर 2019 तक ग्यारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6228-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.